राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5]   चौदहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का तीसरा दिवस   [संख्या : 3

शुक्रवार,

18 सितम्बर, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। जरा प्रश्नकाल हो जाने दीजिए न। प्रश्नकाल बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। विधान सभा में प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आप सबका है, इसलिए सबकी हिस्सेदारी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पहले इस्तीफा, फिर चर्चा।

श्री अध्यक्ष: 12 बजे देखूंगा मैं, आपसे मंगवाकर भी देख लूंगा मैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं, 12 बजे देखूंगा। आपसे मंगवाकर भी देख लूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह अति महत्वपूर्ण कार्य है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री श्रीराम भींचर।

मकराना में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

20. **श्री श्रीराम भींचर** (मकराना): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कब व किस-किस नाम से एवं कौन-कौन से ट्रेड में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक संस्थान को किस-किस ट्रेड में कितनी-कितनी सीटों का आबंटन किया गया है? संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में गीतांजली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोरावड़ को मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो कब

(श्री श्रीराम भींचर)

से व कौन-कौन से ट्रेड में एवं कितनी-कितनी सीटों की? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गीतांजली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोरावड़ में विभिन्न ट्रेडों में शुल्क निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? ट्रेडवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर उक्त संस्थान की मान्यता रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री का इस्तीफा लो, फिर बाद में चर्चा करो, सर। पहले इस्तीफा लो, फिर चर्चा करो, सर।

उच्च **शिक्षा मंत्री** (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। मान्यताएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 4 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को डीजीईटी, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। संस्थानों के नाम एवं ट्रेडों की सूची मय आदेश परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं, पहले इस्तीफा लो ...(व्यवधान) फिर चर्चा करो आप।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): (2) संस्थानों में आबंटित व्यवसायवार सीटों का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(3) जी हां। डीजीईटी, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा गीतांजली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोरावड़ को जुलाई, 2014 से मान्यता प्रदान की गयी है। ट्रेडवार सीटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष: आराम से, आराम से, धीरे-धीरे। (व्यवधान) मंत्रीजी, धीरे-धीरे, आराम से ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): (4) जी नहीं।

(5) निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लिया जाने वाला शुल्क निर्धारित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप यह सब सदन की मेज पर रख दीजिये, सदन की मेज पर रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): (6) मान्यताएं रद्द करने का अधिकार भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न, श्री भींचर। हां, जोर से बोलो।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खण्ड 5 के अन्दर बताया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में लिये जाने वाला शुल्क निर्धारित नहीं है...

श्री अध्यक्ष: आप सब ले लो।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि संस्थान के द्वारा वहां छात्रों से एक बार नहीं बार-बार शुल्क लिया जा रहा है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वहां पर बच्चों का जो रिजल्ट क्लीयर किया जाता है, उसके लिए बच्चों से रिजल्ट का अलग से पैसा लेकर, एक बार नहीं कई बार, इतनी ज्यादा राशि वसूल की जाती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय आपने बताया कि यह भारत सरकार का मामला है, लेकिन आप भी भारत सरकार के एक पार्ट हैं, आप इसकी जांच कराकर भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट भिजवाएं और इसकी मान्यता रद्द कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वर्तमान विभाग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा क्वालिटी कौंसिल आफ इंडिया के माध्यम से जांच उपरांत जारी की जाती है। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में डीजीईटी, नई दिल्ली द्वारा शुल्क मानक के

(श्री कालीचरण सराफ)

सुझाव जारी किये गये हैं। यद्यपि राज्य सरकार शुल्क मानक के सुझाव के आधार पर अपने स्तर पर शुल्क निर्धारण कर सकती है।

गीतांजली निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोरावड़, जिला नागौर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में माननीय विधायक मकराना एवं जिला कलक्टर द्वारा प्रतिपत्रों के क्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार संस्थान के कार्मिकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, दूसरा। दूसरा कर लो।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जैसा आपने बताया है ...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): Quality Council of India (QCI) for accreditation of government and private industrial training institute उन्होंने जो हमें निर्देश दिये हैं उसके अनुरूप हमने कार्यवाही की है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच करायी है, जांच में आपने बताया है कि वहां अनियमितताएं हुई हैं। बच्चों ने शिकायत आपको लिखित में दी है। यह जांच सही तरीके से नहीं हुई है। आप एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएं, उसके बाद में इस कालेज की मान्यता निरस्त की जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। डीजीईटी, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नियमित निरीक्षण पर रोक लगायी गयी है। शिकायत सम्बन्धी मामलों में डीजीईटी को सूचित करते हुए जांच करायी जा सकती है। जांच रिपोर्ट को डीजीईटी, नई दिल्ली को भिजवाया जाता है।

राज्य में कौशल विकास वृद्धि के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। दिसम्बर, 2013 से अब तक राज्य में 752 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हो चुके हैं। इस प्रकार राज्य में 1596 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो चुके हैं तथा इनमें सुपर न्यूमरेरी स्थानों सहित 264794

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रवेश स्थान हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आईटीआई के क्षेत्र में हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में सैकण्ड नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष: वैरी गुड।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय की अधिकता होने के कारण निजी संस्थानों हेतु नीति तैयार कर डीजीईटी, नई दिल्ली, भारत सरकार को भिजवायी गयी है। भारत सरकार द्वारा नीति का अनुमोदन किया गया है जो कि इस प्रकार है:-

1. नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 4 भिन्न-भिन्न व्यवसाय होना अनिवार्य किया गया है तथा इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय की अधिकतम 2 यूनिटों को ही मान्यता दी जाएगी।

2. पूर्व में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जहां पूर्व से इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय संचालित है, को इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय की अतिरिक्त यूनिटों की मान्यता हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे तथा जहां इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय संचालित नहीं है, को इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय की अधिकतम 2 यूनिटों को ही मान्यता दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आपकी इच्छा पूरी करता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): उपरोक्त नीति लागू होने के पश्चात 117 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डीजीईटी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 66 संस्थानों द्वारा इसी वर्ष से 4 व्यवसायों के साथ संस्थान की मान्यता प्राप्त कर ली गयी है। शेष संस्थानों को 2 वर्ष की अवधि में 4 व्यवसाय प्रारम्भ करने की सशर्त अनुमति दी गयी है। इन नये संस्थानों तथा पूर्व संचालित 68 संस्थानों में इस वर्ष 27 विभिन्न व्यवसायों में मान्यता प्रदान की गई है। इससे कुल 18858 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: पूरा करने दो।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनो, सुनो, जवाब सुनो। राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे

(श्री कालीचरण सराफ)

संस्थानों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है तथा संस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का शुल्क भी जाब मार्केट के अनुसार सर्वाइवल के लिये कम किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है जिससे चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी के इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि जिसमें श्री राजेन्द्र पंवार, स्व. श्री एम.एल. मेहता एवं श्री मनीष सबरवाल आदि विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि आईटीआई में फीस निर्धारण न किया जाये एवं उन्होंने यह उल्लेखित भी किया है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.09 बजे, 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.30 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: उपाध्यक्ष का चुनाव। प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

राव राजेन्द्र सिंह, श्री, का उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री राव राजेन्द्र सिंहजी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामेश्वर लाल डूडी। अनुमोदन करेंगे श्री रामेश्वरलाल डूडी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री कालू लाल गुर्जर।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 156) ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन श्री रामेश्वर लाल डूडी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 151) ने किया है, को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 152)

सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष घोषित किये गये।

आप अब उनको उनकी सीट पर ले जाइए।

(माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा माननीय उपाध्यक्ष को उनका स्थान ग्रहण करवाया गया)

अब सदन की नेता बधाई देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अध्यक्ष महोदय।

बधाई एवं आभार

राव राजेन्द्र सिंह, श्री, के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन पर बधाई

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से इस बहुत ही महत्वपूर्ण पद के ऊपर आपका निर्वाचन हुआ है, इस अवसर पर मैं हृदय से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं, बहुत सारी बधाइयां देती हूं।

विधान सभा की बहुत ही सुदृढ़ और समृद्ध परम्पराओं से आपका सर्वसम्मति के साथ निर्वाचन होना, यह मेरे लिए, मेरे दल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सदन के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि सब लोगों ने सर्वसम्मति से आज का इलेक्शन पूरा किया है।

आप एक बहुत ही अनुभवी और विद्वान और विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आप एक योग्य विधिवेत्ता और संविधान के ज्ञाता भी हैं। हमने बार-बार विधान सभा के अन्दर आपके भाषण भी सुने हैं। आपने जब कुर्सी पर बैठकर हम लोगों के यहां निर्णय लिये हैं, वे भी बहुत ही ज्ञानी, ऐसे निर्णय लिए हैं। संसदीय परम्पराओं और नियमों की भी बहुत अच्छी आपकी जानकारी है, यह हमने बार-बार इस हाउस के अन्दर अनुभव किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पूरे सदन को अब आपका मार्गदर्शन मिलेगा।

मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि इस बहुत ही पवित्र सदन के दो पहिये हैं, और लोकतंत्र के ये दो पहिये हैं, एक सत्ता पक्ष है और दूसरा प्रतिपक्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संतुलन को बनाए रखेंगे और इस पद का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मैं फिर से आपको सबकी ओर से बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामेश्वरलाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा कि राव राजेन्द्र सिंहजी का आज उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ है। यह हमेशा से सदन की परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद का निर्वाचन हमेशा निर्विरोध होता है। उसी तरीके से आपका आज चुनाव हुआ, निर्विरोध, सर्वसम्मति से जो निर्णय

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हुआ, सबसे पहले सभी को बधाई देते हुए मैं मेरी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा और विश्वास भी हमें है, हम जो विपक्ष के बैठे हैं, विपक्ष में प्रोटेक्शन और संरक्षण जो आसन के द्वारा दिया जाता है, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, राव राजेन्द्र सिंहजी बहुत ही सुलझे, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही हमने हाउस में भी देखा, जब मुझे भी पहली बार इस विधान सभा में आने का मौका मिला, इनके भाषण वगैरह सब सुने, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस आसन पर भी बैठकर जो निर्णय दिये, उसकी भी हम बहुत सराहना करते हैं। यही आशा रखते हुए आगे हमें यही विश्वास भी है कि हमारे प्रतिपक्ष को पूरा संरक्षण इस आसन की तरफ से मिलेगा और विशेषत: राव राजेन्द्र सिंहजी की तरफ से पूरा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि हम राजस्थान के आम जन की जो आवाज है, आम जन की जो बात है उसे सदन में एक प्रतिपक्ष की हैसियत से हम रखते हैं और उन्हीं विचारों के, उसी सोच के अनुरूप हम आपसे संरक्षण चाहेंगे।

मैं दुबारा हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से बहुत ही बधाई सदन की नेता को देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। इस निर्णय की हम पूरी तारीफ करते हैं कि एक बहुत ही सुलझे और समझदार व्यक्तित्व को उपाध्यक्ष पद पर आसीन किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता ने आज राव राजेन्द्र सिंहजी के सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह की उनसे अपेक्षाएं रखी हैं, वही अपेक्षा मेरी भी रहेगी। मुझे दो साल बाद बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में वे मिले हैं, इसलिए मेरी ओर से भी उनको बधाई देता हूं। मेरा काम हलका करने में उनका सदैव मुझे सहयोग मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं बधाई देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान) हाथ मिलाना पड़ेगा? अच्छा आप बोलेंगे न? आप बोलेंगे कुछ? बोलिए, बोलिए। यस, यस। परम्परा है तो बोलिए।

नव निर्वाचित उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह, श्री, का आभार

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए सदन की नेता, हमारी मुख्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सम्पूर्ण सदन का आभारी हूं

(श्री उपाध्यक्ष)

कि उन्होंने सर्वसम्मति से इस दायित्व को निभाने के लिए मेरा निर्वाचन किया। मैं उनकी अपेक्षा के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा।

मैं इस मौके पर, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य सामाजिक व समाज मानवीय बने, इसी सार्वकालिक शाश्वत आलोक से यह विपरीत होता है कि संसदीय प्रणाली के अन्दर संघीय ढांचा होता है उसका इस सर्वोपरि सदन में हम उस आचरण और उस चरित्र का निर्वाह करें जिसकी अपेक्षा और जिसका प्रतिबिम्ब संविधान अपनी प्रस्तावना में देता है। मैं आशा करता हूं कि इसका निर्वाह करते हुए हम अपने-अपने कर्तव्यों की सम्पूर्ण रूप से पालना करेंगे।

आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री राजपालसिंह शेखावत।

आई एम सारी। शोकाभिव्यक्ति कल रह गयी थी, वह आज हम दे दें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री पदमसिंह राठौड़ एवं श्री रविशंकर याज्ञिक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पदमसिंह राठौड़, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्री पदमसिंह राठौड़ का जन्म 20 जुलाई, 1919 को चित्तौड़गढ़ जिले के अम्बावली ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एवं साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री पदमसिंह राठौड़ छठी राजस्थान विधान सभा में निम्बाहेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

श्री राठौड़ अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1953 से 1959 तक तहसील पंचायत, छोटी सादड़ी तथा ग्राम पंचायत, अम्बावली के सरपंच और पंचायत समिति, छोटी सादड़ी के प्रधान रहे। आप जिला जनसंघ, चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री पदमसिंह राठौड़ का दिनांक 17 जुलाई, 2015 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

रविशंकर याज्ञिक, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री रविशंकर याज्ञिक का जन्म 10 जून, 1922 को सिरोही जिले के रोहेड़ा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. (अंग्रेजी) तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रविशंकर याज्ञिक तीसरी राजस्थान विधान सभा में पिण्डवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री याज्ञिक अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1954 से 1956 तक रोहेड़ा ग्राम पंचायत तथा वर्ष 1956 से 1959 तक तहसील पंचायत, पिण्डवाड़ा के सरपंच रहे। आप पिण्डवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। श्री याज्ञिक वर्ष 1950 से 1952 तक सिरोही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आप सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री याज्ञिक महिलाओं में शिक्षा प्रसार हेतु प्रयत्नशील रहे। आपने किसानों तथा आदिवासियों के उत्थान हेतु निरन्तर कार्य किया।

श्री रविशंकर याज्ञिक का दिनांक 2 जून, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

ओम शांति।

सूचना

मीणा समाज का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान के विभिन्न जिलों से मीणा समाज के लोग विधान सभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं? आपने अनुमति दी है, अध्यक्ष महोदय? आपसे अनुमति ली है क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): मीना और मीणा विवाद को सरकार सुलझाने का प्रयास करे। सरकार ने माना भी है कि मीना और मीणा एक ही जाति है। विधान सभा से प्रस्ताव पास कर भारत सरकार को भिजवाएं। जो भी छोटी-मोटी प्राब्लम है, जब सरकार मान रही है तो इसका रिजोलूशन पास कर कराएं और केन्द्र सरकार को भिजवाएं। यही शार्ट में मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री राजपालसिंह शेखावत।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मांग है।

श्री अध्यक्ष: राजपालसिंह शेखावत को पुकारा है मैंने। आपको नहीं पुकारा है। श्री राजपालसिंह शेखावत।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे हो, आप कुछ तो सम्मान करो इस कुर्सी का। कुछ तो सम्मान करो इस कुर्सी का। (व्यवधान) आप इस कुर्सी पर बैठे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर नहीं जाए। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

आबकारी विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

1. अधिसूचना संख्या एफ.8(104)वित्त/आब/2011 दिनांक 27.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित्त/आब/2011 दिनांक 27.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर नहीं जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, रिकार्ड पर नहीं जाएगा। (व्यवधान) आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है, प्रतिपक्ष के नेता अगर किसी मामले में बहस करना चाहते हैं तो नियमों में आएं, नोटिस दें, सरकार एक-एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। यह सदन नियमों से चलेगा। इस किताब में आपने अनेक प्रावधान कर रखे हैं, किसी भी वक्त बहस के लिए सरकार तैयार है। पर बिना मुद्दे के, बिना कोई बात के, बिना तथ्यों के ये विधान सभा की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता देख रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री सुरेन्द्र गोयल।

पंचायती राज विभाग

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/273 दिनांक 5.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

2- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/480 दिनांक 6.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

3- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/537 दिनांक 5.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

4- अधिसूचना संख्या एफ4(21)रानिआ/नियम/विधि/पंरा/2008/457 दिनांक 1.7.2015 जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

5- अधिसूचना संख्या एफ4()पर्यटन/नियम/विधि/पंरा/2015/486 दिनांक 10.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (पर्यटन इकाइयों के लिए पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि का आबंटन, भूमि के उपयोग का परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 2015 विरचित किये गये हैं।

(कांग्रेस दल के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह।

उद्योग विभाग

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की एक अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफ.पीए-23(8) दिनांक 10.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम स्टाफ रेगुलेशन, 1958 के रेगुलेशन संख्या 104(1) एवं 104(2) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

पर्यावरण विभाग

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या जीएसआर 21 दिनांक 6.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान एयर (प्रीवेंशन एण्ड कण्ट्रोल आफ पाल्यूशन) रूल्स, 1983 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या जीएसआर 22 दिनांक 5.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वाटर (प्रीवेंशन एण्ड कण्ट्रोल आफ पाल्यूशन) रूल्स, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारी लाल सिंघल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति (2015-16) (क्र. सं. 9 से 18)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2015-16 के निम्नांकित दस प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्व, देवस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, कार्मिक, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक मामलात तथा आयोजना विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का नौवां प्रतिवेदन।
2. आबकारी, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, युवा मामले एवं खेल तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का दसवां प्रतिवेदन।
3. शिक्षा, सम्पदा, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, पर्यावरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, वन, खाद्य

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

एवं नागरिक आपूर्ति, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, सामान्य प्रशासन, संस्कृत शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, जल संसाधन, डेयरी, विधि एवं न्याय, सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 11वां प्रतिवेदन।

4. उपनिवेशन, कृषि विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खान एवं पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास (रो.गा.), गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, जन स्वा.अभि., तकनीकी शिक्षा, पंचायती राज. पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, भ्रष्टाचार निरोधक, मंत्रीमण्डल सचिवालय, युवा मामले एवं खेल, राजस्व, वक्फ, वन, वित्त, सैनिक कल्याण, सम्पदा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, भू-जल विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 12वां प्रतिवेदन।

5. खादी एवं ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, जल संसाधन, नागरिक उड्डयन, तकनीकी शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, विधि एवं विधिक कार्य, जनजाति क्षेत्रीय विकास, आबकारी, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 13वां प्रतिवेदन।

6. पशुपालन, डेयरी, परिवहन, संस्कृत शिक्षा, आयोजना, वन, युवा मामले एवं खेल, श्रम एवं रोजगार, अलपसंख्यक मामलात, पर्यटन, वित्त, उपनिवेशन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 14वां प्रतिवेदन।

7. राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, आयोजना, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कृषि, आबकारी, परिवहन, आयुर्वेद, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा, जन अभियोग निराकरण, सिंचित क्षेत्रीय विकास, कृषि विपणन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सहकारिता, पंचायती राज, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 15वां प्रतिवेदन।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

8. भू-संरक्षण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, पशुपालन, उपनिवेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, पर्यटन, देवस्थान, अल्पसंख्यक मामलात, सैनिक कल्याण, वित्त तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 16वां प्रतिवेदन।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, देवस्थान, पंचायती राज, पर्यावरण, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भाषा, राजकीय उपक्रम, राज. स्टेट मोटर गैराज, वन, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं जन सम्पर्क, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आबकारी, आयोजना, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 17वां प्रतिवेदन।

10. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आयोजना, उद्योग, कृषि, कार्मिक, खनिज, ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पंचायती राज, परिवहन, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, देवस्थान, वन, वित्त, सहकारिता सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, श्रम एवं रोजगार, जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 18वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल गुर्जर।

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति (2015-16)

(क्र. सं. 2)

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं भर्तीयों में आरक्षण की पालना करने तथा बी.पी.एल. परिवारों को समय पर विद्युत कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति वर्ष 2011-2012 के द्वितीय प्रतिवेदन (तेरहवीं राजस्थान विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक। प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 । श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लेने के लिए आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी, वापस लीजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। संशोधन।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही बढ़िया राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 लाया गया है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इसमें जान-बूझकर व्यवधान कर रहे हैं। इस विधेयक के जो एम्स और आब्जैक्ट्स बताये हैं उससे स्पष्ट है कि इसकी किस तरह से आवश्यकता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैंने इस विधेयक पर अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था उसे वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है और ऐसी स्थिति में बोलना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं अपना जन मत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, सदन आर्डर में नहीं है इसलिए राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव किया था, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको वापस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जिस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच नहीं हो पाती थी, उस समय सहकारिता आंदोलन का आगाज हुआ। इसमें सबका साथ और सबका विकास, यह भावना थी। आड़े समय में ग्रामीणों को ऋण का सहयोग देने के लिए इसका आगाज हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में सहकारिता का प्रयोग हुआ और ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक की स्थापना हुई, भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई। उसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना हुई। महिला एम्पावरमेंट का कार्य भी सहकारिता के आधार पर किया जाता है। और आज ग्रामीणों को तथा नागरिकों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए किया जाता है।

इसके अन्दर मैं मेरा एक सुझाव देना चाहता हूं। चुनाव प्रक्रिया में अर्द्धलोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी है और इसके अन्दर दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक प्रकार का सदस्य तो ऋणी और एक अऋणी होता है। अऋणी सदस्य को, मात्र अऋणी के लिए, एक को ही चुनने का अधिकार होता है जबकि दस सदस्य ऋणी चुनते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अऋणी सदस्यों को भी ऋणी सदस्यों की तरह मानते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी 11 पदों पर चुनने की अनुमति प्रदान करें।

(श्री पब्बाराम)

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को जो जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री सुखराम विश्नोई।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया था, उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्षः श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर कांग्रेस का जिस प्रकार का रवैया है, उसको देखते हुए जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार।

मास्टर मामन सिंह यादव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक को जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, उसको वापस लेने की मैं आपसे अनुमति चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 में मैंने प्रस्ताव दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया गया है जिसमें हमारी सरकार की मंशा और भावना भी है, मगर प्रतिपक्ष इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा नहीं

(श्री केसाराम चौधरी)

करना चाहता है। व्यवधान पैदा करके ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सहकारी समितियों के जो चुनाव होते थे, वो अलग-अलग समय में होते थे, उस समय को ठीक करके एक साथ चुनाव कराने की जो सरकार की मंशा है, उससे साफ जाहिर होता है। राजस्थान की सरकार ने कटिबद्ध होकर जो दुविधाएं थीं, उनको दूर करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया, मैं उसकी सराहना करता हूं।

मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति आपसे चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर।

श्री बंशीधर।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा के लिए मैं अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री पब्बाराम, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री मानसिंह, मास्टर मामन सिंह यादव, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, श्री बंशीधर, श्री फूलसिंह मीणा ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

मंत्री जी, मूव कीजिये।

(13.00 बजे)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, विपक्ष की तरफ से अच्छा होता कि कोई अच्छे विचार आते।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड 2 से 6-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, सरकार की यह मंशा है कि राज्य की सभी सहकारी समितियों का प्रबन्धन उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित संचालक मण्डल के हाथों में रहे और बार-बार बेवजह सरकार को किसी भी समिति में प्रशासक लगाना न पड़े। माननीय अध्यक्षजी, राज्य के सहकारी ढांचे का प्रमुख आधार हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। वर्तमान में केवल 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव ड्यू हैं जबकि 5,500 का कार्यकाल नवम्बर-दिसम्बर, 2016 के अन्दर पूरा हो रहा है। सरकार चाहती है कि एक साथ हम इनके चुनाव कराएं ताकि किसी भी समिति में प्रशासक न लगाना पड़े और लोकतांत्रिक पद्धति से जो निर्वाचक मण्डल चुना हुआ है, वह अपना पूरा कार्यकाल करे। (व्यवधान)

(श्री अजय सिंह)

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने राजस्थान सहकारी सोसायटी एक्ट, 2001 की धारा 27, 30 और 32 में संशोधन किये हैं और 30(ग) एक नई धारा जोड़ी गयी है जिसके द्वारा यदि कोई भी सहकारी समिति में किसी भी तरह की अनियमितता होती है और अगर जनता के साथ में किसी भी तरह की वितीय धोखाधड़ी की जाती है तो उसमें तुरन्त विभाग के द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह से जनता के हितों को हमने बिल्कुल सुरक्षित किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015. श्री सुरेन्द्र गोयल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

(13.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा प्रभाव है, उपाध्यक्ष महोदय आपका। यह प्रभाव है आपका, देखो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्षजी का प्रभाव है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभाव और दुष्प्रभाव में ज्यादा फर्क नहीं होता है। (व्यवधान) श्री जोगाराम पटेल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्षः आसन ने जो नाम पुकारा है, उसके अलावा कोई माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हृदय की अंतर्गहराइयों से आपको बधाई देता हूं कि आप राजस्थान की विधान सभा के इस पवित्र और गरिमामय सदन के इस आसन पर विराजमान हुए हैं। हम सब परम पिता परमेश्वर से आराधना करते हैं कि आपका यह कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो। हम सबको प्रेरणा मिले, ऐसी हमारी परम पिता से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय संविधान में जो गरिमा बतायी गयी है, भारतीय संविधान में जो प्रावधान बताये गये हैं, इस पवित्र सदन की जो परम्पराएं रही हैं, उन्हें आप निभाएंगे और आवश्यकता हुई तो प्रतिपक्ष को निर्देशित भी करेंगे कि कम से कम वह आज तो अपने आसन पर बैठकर ऐसे महत्वपूर्ण, जनता से जुड़े हुए, जनता की गहराइयों से लगाव रखने वाले विधेयक पर हमारी बात तो सुने।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 लाया गया है, इसमें जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स बताये गये हैं, उसमें यह ...(व्यवधान) आपके हाथ में तंदूरा भी नहीं रहेगा अब की बार, भूल जाओगे। वहां आना भूल जाओगे। (व्यवधान) एट प्रजेंट जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स बताये गये हैं, उसके अनुसार यह एक्ट नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन भी करूंगा, दो सुझाव भी दूंगा, ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान) निवेदन यह है, At present there is no provision for change of use of land in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994. Apart from residential use other activities viz. Institutional, Commercial and Industrial are being carried out in rural areas. It has been felt essential to regulate such uses of Abadi land. Certain ancilliary provisions also needed to be made in this regard. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोविजन बनाये गये हैं, वे एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के अनुसार पूरे नहीं हैं। जिस भावना से यह कानून लाया गया है, वह कद्र किये जाने योग्य है और सरकार की मंशा है, वह बहुत सही है। हमारे मंत्री महोदय ने, हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने जो भावना रखी है, वह बहुत सही है लेकिन जो प्रोविजन है, उसमें थोड़ा-सा फर्क है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने इसमें जो धारा 107(ख) बनायी है, वह 107(ख) भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकती है। इसमें आपने

(श्री जोगाराम पटेल)

यह लिखा है कि कोई भी भूखण्ड है, उसका अगर विभाजन किया जाएगा तो प्राधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। साधारणत: गांव में रहने वाले व्यक्ति अपने भूखण्डों का विभाजन रोज ही करते हैं और जब भूखण्डों का विभाजन रोज ही करते हैं तो उसमें अनुमति की आवश्यकता रहेगी। यह प्रावधान का एम्स एण्ड आब्जेक्ट नहीं था।

दूसरा, इसमें अगर अपने गांव में भाई आपस में अलग-अलग हो गये या बंटवारा करते हैं तो उसका नियमन किया जाना सही है।

तीसरा, आपने जो धारा 107(2) बनायी है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने अमेंडमेंट दिये हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस ओर आप गौर करें और गौर करने के बाद आवश्यकतानुसार इसमें जो भी रिलीफ पब्लिक को देना है, वह दिलाएं।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, इस प्रोग्रेसिव एक्ट से जनता को फायदा होगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी फायदा होगा, पंचायती राज को भी फायदा होगा। मैं इस मौके पर श्रीमान् से मैंने जनमत जानने का अपना जो प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। इस आसन की व्यवस्थाओं ने जो पुरानी परम्पराएं रही हैं, उनको और सदन की गरिमा को बढ़ाया है। आप जैसे विद्वान व्यक्ति के इस आसन पर उपाध्यक्ष के रूप में विराज होने के बाद राजस्थान के सदन की गरिमा और परम्पराएं उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगी, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। यह महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए थी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर, परन्तु हाउस आर्डर में नहीं है, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

राजस्थान की धरती से 2 अक्टूबर को पंचायती राज की नींव रखी गयी थी लेकिन कांग्रेस ने 53 साल शासन करने के बाद भी कभी पंचायतों को पावर नहीं दिये। पहली बार यह सरकार गांवों में जो वास्तविक आवश्यकता है उसके लिए जो प्रावधान करने जा रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। चूंकि ये कांग्रेसी लोग नहीं चाहते कि इसका कोई सकारात्मक काम हो, इस कारण से मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव किया था, उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए, इसकी तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपके निर्वाचन के बाद सदन की परम्पराओं को निर्वाह करके कुछ कीर्तिमान स्थापित होंगे। आज राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव दिया था, सदन से मुझे उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री मान सिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको इस पद पर निर्वाचित होने पर बहुत सारी बधाईयां। इस पद पर शोभायमान होकर आप इस सदन की गरिमा और परम्परा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज जिस बिल पर बहस हो रही है, यह पंचायती राज विधेयक एक प्रोग्रेसिव बिल है। निश्चित रूप से गांवों में जिस प्रकार का विकास होना था, इस विधेयक के माध्यम से होगा। लेकिन कांग्रेस के लोग हठधर्मिता करके गांवों के विरोध में और गांवों के विकास के विरोध में जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं ऐसी स्थिति में मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जन मत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मास्टर मामन सिंह यादव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस सुशोभित पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मेरी ओर से तहेदिल से पहले तो बधाई देना चाहूंगा। आपको बहुत-बहुत बधाइयां। यह राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था जो गांव और प्रजातंत्र की सबसे निचली सीढ़ी पंचायती राज पर संशोधन करने के लिए था। इतने महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किये गये हैं कि गांव की पंचायतों का विकास, गांव के अन्दर रोजगार के अवसर, होटल वगैरह सब, भूमि की अवाप्ति का अधिकार उस ग्राम पंचायत को दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, गांव का विकास होता और पंचायतें भी सुदृढ़ होतीं। मैं माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी कि इन्होंने इस तरह का, बिल में संशोधन किया है। इस महत्वपूर्ण बिल पर कांग्रेस पार्टी के, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस तरह की जो बात कर रहे हैं इनको जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। कोई बीन बजाओ, लेकिन जो बहरा होता है वह सुनता ही नहीं है। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय वरिष्ठ नेता गहलोत साहब से विनम्र विनती करना चाहूंगा कि अपनी इन असमझ सेनाओं को रोके, कृपा करके सदन को चलने दें। आपको राजस्थान की जनता देख रही है। एक हजार वोट रोजाना आपके क्षेत्र में कम हो रहे हैं इस तरह के आपके व्यवहार से। जनता ने आपको केवल मर्यादित और संवैधानिक रूप से विरोध करने के लिए कहा है, जनता ने यहां आपको हा-हुल्लड़ के लिए नहीं भेजा है। अगर ऐसी ही हालत रही आपकी तो आपके रोजाना एक हजार वोट घटेंगे। आप उनको बचाइए, नहीं तो आप जीरो पर आ जाएंगे। ज्यादा नहीं बोलकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है, मैंने जन मत जानने का जो प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेना चाहता हूं। आपसे विनती और निवेदन कर रहा हूं, वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी विनती है कि अपनी इस सेना को समझाइए, समझाइए अपने सदस्यों को और सदन को चलने दीजिए। यह जरूरी नहीं है कि कहना ही है। सही बात को मानो, गलत बात का विरोध करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसिंह डोटासरा। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि आपको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। दूसरा, पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो सरकार द्वारा लाया गया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। यहां कांग्रेस के जो बंधु बिना वजह हुल्लड़ कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि ये एक-दो मिनट बात सुनें। जिस तरह से ये कर रहे हैं, इनका व्यवहार जनता देख रही है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली बार कोयले का घोटाला किया था खानों का घोटाला किया था, आज मुख्य मंत्रीजी से इस्तीफ़े की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? आपने जब खानों का आबंटन किया, उसको आपने वापस लिया और कहा कि हमने घोटाला किया है, हमने भ्रष्टाचार किया है। उस समय अशोक जी गहलोत ने तो इस्तीफा नहीं दिया? उस समय आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय उनसे मांग क्यों नहीं की? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको उस समय इस्तीफा देना चाहिए था। आज तो हमें गर्व होना चाहिए और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको उजागर किया है। मैंने जो जन मत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्रीजी को यह बिल लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस बिल के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का गलत तरीके से पंचायत समितियों में जो चयन हो रहा था और अनेक समस्याएं पैदा हो रही थीं, उन सब समस्याओं का समाधान होगा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन राज्य स्तर पर होगा और राज्य स्तर पर चयन होने के बाद में पंचायत समिति को यह छूट होगी कि वो उनमें से जितनी वेकेंसीज हैं उन वेकेंसीज को भरने का काम करें। मैं अधिक नहीं कहकर उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने दिया है, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं मेरे संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाइयां देता हूं कि आप उपाध्यक्ष पद के ऊपर आसीन हुए हैं। आज सदन के अन्दर पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत किया गया है, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक लाकर ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। इस बिल के कारण से हमारी पंचायतों का राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ने के कारण से उन पंचायतों में मजबूती आएगी। उनमें भूमि परिवर्तन होगा आबादी से वाणिज्यिक और वाणिज्यिक से औद्योगिक। सिनेमा, होटलों और पर्यटन के लिए आबादी की भूमि है उसमें वो परिवर्तन करता है और उपयोग करता है तो उससे जो राजस्व प्राप्त होगा, वह पंचायत को होगा। इसलिए मैंने इस बिल जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्द किशोर जी महरिया, श्री बंशीधर, श्री रमेश, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई। आप इस पद पर आज आसीन हुए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। मैंने राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा था, उसको मैं वापस लेने का अनुरोध करता हूं और अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय की अन्तर्गहराई से बधाई देता हूं। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 लाने के लिए मैं माननीय पंचायती राज मंत्री को बहुत सारी बधाई देता हूं। भारत की आत्मा गांवों में रहती है और इस बिल को लाने से हमारी पंचायतें बहुत सशक्त होंगी। पंचायतों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जनमत जानने के लिए मैं जो प्रस्ताव लाया था, मैं सदन की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री मान सिंह, श्री रामचन्द्र, मा. मामन सिंह यादव, श्री नरेन्द्र नागर, श्री कैलाश चौधरी, श्री मानिक चन्द

(श्री उपाध्यक्ष)

सुराना, श्री कैसाराम चौधरी, श्री फूल सिंह मीणा और श्री नारायण सिंह देवल ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2, श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायती राज के खण्ड-2 के अध्याय-4 (क) में 1971 के पाक विस्थापितों को आवासीय पट्टा जारी करने के लिए निवेदन किया था और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। लेकिन मैंने जो अपना प्रस्ताव किया, उसे मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री तरुण राय कागा ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं आसन पर विराजमान होने पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन के पटल पर रखा गया है और विचारार्थ लिया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल में सबसे पहले ...।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजें। मैं प्रतिपक्ष को यह निवेदन करना चाहता हूं Anyone who gets on the dais, I deal it strictly. Nobody comes on the dais. सम्माननीय विधायक महोदय, Nobody should come on the dais.

मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सोच-विचार कर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 68 साल से भी ज्यादा हो गये, आबादी भूमि जो ग्राम पंचायतों की है उसकी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जिससे उस लैंड को कन्वर्ट किया जा सके, उसका उपविभाजन किया जा सके और उसको... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैंड के कन्वर्जन के पॉवर देने के लिए राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 में अध्याय-4 और 5 के बीच में 4 (क) नया अध्याय जोड़कर इस प्रकार की कानून में व्यवस्था की गयी कि धारा -107 (क) से लेकर (द) तक लैंड का कन्वर्जन भी हो सके, उसका उपविभाजन भी हो सके, उसका पुनर्गठन भी हो सके और उसका पट्टा भी दिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश की है जिससे, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

महोदय, पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ होगी, निजी आय बढ़ेगी और व्यक्ति जिसने एप्लाई किया है उसको पट्टा मिलेगा। पट्टा मिलने के आधार पर वो बैंक से लोन भी ले सकेगा और बैंक से लोन लेकर अपना जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करा सकेगा। गांवों में पुरानी जो दुकानें चल रही थीं, जो सिनेमा हाल चल रहे थे, जो होटलें चल रही थीं, उनका कन्वर्जन होने से उन लोगों को फायदा मिलेगा, उनको पट्टा मिलेगा। और पट्टा मिलने से वो अपने-आपको सुदृढ़ महसूस करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जब से यह सरकार आयी है तब से लेकर महत्वपूर्ण संशोधन पचांयती राज व्यवस्था में किये हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। जब पंचायतों के चुनाव हुए उस समय शिक्षा की अनिवार्यता लागू की। शिक्षा की अनिवार्यता लागू करने से आज जो भी सरपंच चुने गये हैं, आरक्षित क्षेत्र में भी आठवीं पास जीते हैं, दसवीं पास जीते हैं, जिससे पंचायतों में आने वाले समय में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। पारदर्शिता से काम होगा और आने वाले समय में पंचायतें मजबूत होंगी, गांव मजबूत होंगे। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने 723 नयी पंचायतें बनायीं और 47 पंचायत समितियां बनायीं। यह भी अपने-आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमेशा पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जी-जान से मेहनत की और 12 हजार करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए खर्च करने की व्यवस्था की- चाहे महात्मा गांधी नरेगा से हो, चाहे आजीविका मिशन से हो, चाहे रूरल डवलपमेंट विभाग से हो, चाहे पंचायत राज विभाग से हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि पंचायती राज मजबूत हो। इस प्रकार के कानून लाकर उन्होंने पंचायतों को आगे लाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बोलना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में और पंचायती राज के इतिहास में जब से ये प्रोग्रेसिव बिल आने लगे हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं की हवा उड़ गयी है। यहां पूर्व के आदरणीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, उन्हें पता लग गया है कि राजस्थान से उनकी छुट्टी होने वाली है इसलिए वो यहां बैठ कर इनको रोज उकसाते हैं कि आप जैसे-तैसे करके ऐसे-ऐसे करते रहो।

राजस्थान में दो तरह की परीक्षाएं अध्यापक बनाने के लिये हमारे नौजवानों से ली जा रही थीं, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को और हमारे पंचायती राज मंत्रीजी को कि वे इतना अच्छा बिल लेकर आये हैं जिससे जो विद्यार्थी अपनी नौकरी करना चाहते हैं, जिनको दो परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, अब एक ही परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसा हिन्दुस्तान और राजस्थान के इतिहास में पहली बार बिल लाया गया है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। लाखों युवक जो बेरोजगार हैं, उनको धन्यवाद देंगे। आगे से एक परीक्षा देने के बाद शीघ्र ही उनकी नौकरी लगेगी और जब एक एक घर में नौकरी लगेगी तो जैसी हवा कर रहे हैं वह उनकी हवा उड़ा देंगे। उनका परिवार ही नहीं वे स्वयं भी याद करेंगे और लगेगा कि राजस्थान में हमारा जो टार्गेट है पूरा होगा। मैं आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए, हमारे बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिनको नौकरी की अपेक्षा है

(श्री जोगाराम पटेल)

उनको ध्यान में रखते हुए इतना सरलीकरण किया है। एक ही रोजगार के लिये दो-दो परीक्षाएं देने से समय की बर्बादी, धन की बर्बादी और राजस्थान में अध्यापकों की कमी ये सारे जो विवाद थे, उनको खत्म करने के लिये बिल लाये हैं, उसके लिये आपका धन्यवाद।

इस बिल के जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स हैं उनके आधार पर देखा जाए तो राजस्थान के तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में बार-बार कितनी ही रिट याचिकाएं हो गयीं। राजस्थान में इनके कार्यकाल के दौरान एक भी अध्यापक की नौकरी नहीं लगी। जानबूझकर उलझाने के लिये इन्होंने भेद किये। इसलिए मैं इस प्रोग्रेसिव बिल का न केवल समर्थन करता हूं बल्कि मैंने जो जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की अनुमति के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 विचार में लिया गया है, यह हाउस ओर्डर में नहीं है इसलिए इस पर व्यापक चर्चा करना सम्भव नहीं है। यह मुख्य मंत्रीजी का स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान किया हुआ वादा था, जिसको आज पूरा कर रहे हैं। मैं अपना जन मत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में पिछले पांच वर्ष में जो परीक्षाएं नौकरी के लिये ली गयीं, उनमें कई विवाद पैदा हो गये, कई बार कोर्ट में चले गये और उसका दुरुपयोग पिछली सरकार ने किया। लेकिन इस सरकार ने एक प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए, नियुक्तियों में एकरूपता लाने के लिये किसी संस्था को पावर देने का जो प्रावधान किया है, वह एक अच्छा कदम है। हमने कल भी संशोधन किया था उसमें कि दो परीक्षाओं के स्थान पर एक ही परीक्षा हो और सारे राजस्थान में एक समान परीक्षा हो। यह एक प्रोग्रेसिव कदम है, इसका मैं समर्थन करता हूं और जो मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, तीन बार आप सदस्य बोल रहे थे उनके बीच में से निकले हैं, आइंदा आप इस बात का ध्यान रखें। श्री सुखराम विश्नोई, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज मंत्रीजी को बधाई देता हूं, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 एक महत्वपूर्ण है। मैंने अपना जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 एक प्रोग्रेसिव बिल है, निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पर हाउस के आर्डर में नहीं होने की स्थिति में मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को मैने जो जन मत जानने के लिये प्रस्तावित किया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह यादव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को जो मैंने जन मत जानने हेतु प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा, श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 जो सरकार द्वारा लाया गया है वह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इससे युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। जैसा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने स्वराज संकल्प यात्रा के समय भी कहा था, उसी के तहत यह किया गया है, इसके लिये मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जो मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव रखा था, उसको वापस लेने की मैं अनुमति चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों की आबादी भूमियों के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि हमारे नियम 157 के तहत जो नियम बने हुए हैं उनके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तहत 50 साल से पहले के आबादी में निर्मित मकानों को 200 रुपये, 100 रुपये में पट्टे दिये जा सकते हैं, पर ग्राम पंचायतों में ......

श्री उपाध्यक्षः आदरणीय सदस्य, आदरणीय सदस्य, मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह पंचायती राज संशोधन विधेयक है, आदरणीय यह पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) है, जो आप फर्मा रहे हैं वह थर्ड में आ गया है। वह पारित भी हो चुका है इसलिए ...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया था, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्षः श्री बंशीधर जी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपको उपाध्यक्ष बनने पर बहुत-बहुत बधाई हो। यह जो पंचायती राज विधेयक लाया जा रहा है जिससे पूरे राजस्थान में एक साथ परीक्षाएं कराई जायेंगी, बच्चों के साथ कुठाराघात हो रहा था इसलिए पूरे राजस्थान में समानता के लिये इसको लाया गया है, यह बहुत ही अच्छा है। मैंने जो इसको जन मत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, उसको मैं वापस लेता है।

श्री उपाध्यक्षः श्री रमेश, श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिये मैंने प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री मानसिंह, श्री रामचन्द्र, मास्टर मामन सिंह यादव, श्री कैलाश चौधरी, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री केसाराम चौधरी, श्री बंशीधर और श्री फूलसिंह मीणा ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 4-कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल ।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण बिल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन में पेश किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जब संकल्प यात्रा में पूरे राजस्थान में घूम रही थीं, उन्होंने कहा था कि थर्ड ग्रेड टीचर जिनको टैट परीक्षा और भर्ती परीक्षा, इन दो परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता था, एक परीक्षा रीट आयोजित करवाकर उनको तोहफा दूंगी। तो उन्होंने यह बिल लाकर इस प्रकार की व्यवस्था की है। दो परीक्षाओं के बजाय एक परीक्षा लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की राज्य स्तर पर परीक्षा करवाकर के उनको भर्ती करने का यह विधेयक लाया गया है। इसकी मैं बधाई देता हूं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो संशोधन लाये हैं कि पहले राज्य सरकार के पास में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर के पावर विदिन पंचायत समिति नहीं थे, विदिन पंचायत समिति में राज्य सरकार के स्तर पर ट्रांसफर करने का पावर लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों संशोधन हैं, इन संशोधनों को मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ को लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने जो जन मत जानने का अपना प्रस्ताव दिया था, उसे वापस लेने की प्रार्थना करने के साथ ही इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इस आर्डिनेंस के मार्फत नगरपालिकाओं के अधिनियम में चुनावों से पूर्व जो शैक्षणिक योग्यता रखी गयी, उसका परिणाम राजस्थान को मिला है। राजस्थान की जनता तहे दिल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रही है कि नौजवान पढ़े-लिखे जन-प्रतिनिधि हमको

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान में मिले हैं। इसीलिए मैं इस मौके पर बधाई देते हुए अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की आपके मार्फत प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं में पढ़े-लिखे लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आये। 21 जुलाई को आर्डिनेंस मंत्रिमंडल में लाया गया था, कानून की शक्ल में उसे राजस्थान में स्थापित करने के लिए यह बिल आज हाउस में है। व्यापक चर्चा नहीं हो सकती। मैंने जो मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, स्थानीय स्वशासन में जन प्रतिनिधित्व में क्वालिटी लायी जाए, समझ पैदा की जाए, इस प्रकार की आवश्यकता थी। राजस्थान सरकार ने योग्यता निर्धारित करके नई पीढ़ी में अच्छी क्वालिटी के लोग जन प्रतिनिधि बनें, उसका यह प्रयास किया है और इसके कारण से... आपके पापों को धो रहे रहें, हम आपके पापों को धो रहे हैं। इस कारण से मैं इस बिल में जो संशोधन किया है, उसका समर्थन करता हूं और जो जनमत जानने के लिए मैंने निवेदन किया था, उसको वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम जी विश्नोई, श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला, श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के माननीय मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं । राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो पेश किया, उसमें जनमत जानने का जो मेरा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे राजस्थान में नगरपालिका क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के नये आयाम स्थापित हो सकते हैं। चूंकि सदन आज आर्डर में नहीं है, मैं यह प्रस्ताव वापस लेने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह यादव, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी अभिव्यक्ति बिल तक सीमित रखें। और उसके पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के सचेतक भी हैं, आप अपने सदस्यों को निवेदन करें कि वो अपने- अपने निर्धारित स्थान पर जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन नियम से बंधा हुआ है। अगर माननीय सदस्य विधान सभा के वैल में हैं तो आसन परमिट नहीं कर सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वो सभी ट्रैजरी बेंचेज के हैं और एक भी व्यक्ति वैल में नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने सिर्फ बिल पर बोलने की अनुमति दी थी, किसी ने कुछ कहा है वो अंकित नहीं होगा। श्री मोहन लाल गुप्ता (अनुपस्थित) श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो सरकार द्वारा लाया गया है, मैं इसकी तारीफ करता हूं निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा बिल है। जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया है, इसको वापस लेने की अनुमति चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर, श्री रमेश, श्री मानिक चन्द सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 का जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव दिया था, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचालित किए जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री मानसिंह, श्री रामचन्द्र, श्री कैलाश चौधरी, श्री मानिक चन्द सुराणा, श्री फूलसिंह मीणा और केसाराम जी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 एवं 3-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड दो एवं तीन स्वीकार किये गये।

खण्ड एक- अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो हमने रखा है, एक प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट है, और इस प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट की सब जगह सराहना हुई है। इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिये मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.51 बजे सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा शहर में सीवरेज व्यवस्था हेतु कार्य योजना

21. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा आयुक्त नगर परिषद् दौसा को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो आयुक्त नगर परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दौसा शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु आयुक्त नगर परिषद्, दौसा द्वारा प्रस्तुत उक्त परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद दौसा द्वारा सीवरेज व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाने हेतु निविदायें प्राप्त कर ली गई हैं।

(2) नगर परिषद दौसा से दौसा शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षण पश्चात केन्द्र सरकार की योजना आने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

मोहनगढ़ में सीमेन्ट ब्लाक निर्माण फैक्ट्री में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन

22. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर निर्माण के लिए मोहनगढ़ में ब्लाक निर्माण (सीमेंट) हेतु फैक्ट्री लगायी गयी थी? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री का उत्पादन कब से बन्द है तथा उत्पादन बन्द होने के बाद कितने कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं?

(2) उक्त फैक्ट्री कब स्थापित की गयी व कितने समय चली?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) उक्त फैक्ट्री बन्द होने के बाद अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य खर्चों में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बन्द फैक्ट्री में नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर एवं शहीद बीरबल शाखा के डिच माइनर के निर्माण तथा नहरों की मरम्मत के लिए मोहनगढ़ में ब्लाक निर्माण (सीमेन्ट) हेतु फैक्ट्री लगायी गयी थी। पीसीसी ब्लाक्स निर्माण एवं आपूर्ति का समस्त कार्य संवेदक द्वारा अनुबन्धानुसार दिनांक 7.2.2014 को प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 6.5.2014 को पूर्ण किया गया। इस प्रकार फैक्ट्री को उत्पादन किये लगभग 16 माह हो गये हैं। फैक्ट्री के बन्द होने के पश्चात संवेदक द्वारा आपूर्ति किये पीसीसी ब्लाक की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा चौकीदारी की व्यवस्था हेतु तीन कार्यप्रभारी कर्मचारी लगाये गये थे जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं।

(2) फैक्ट्री दिनांक 7.2.2014 को स्थापित की जाकर दिनांक 6.5.2014 (तीन माह) तक चली।

(3) फैक्ट्री के बन्द होने के पश्चात् (संवेदक द्वारा 15 लाख पीसीसी ब्लाक की आपूर्ति के बाद) साइट पर रखे हुए पीसीसी ब्लाक की चौकीदारी हेतु विभाग के केवल तीन कार्यप्रभारी कर्मचारी लगाये गये हैं । इनके वेतन एवं अन्य खर्चों में वर्ष वार निम्न प्रकार व्यय हो चुका है :-

1. वर्ष 2014-15 = 8,85,687/-
2. वर्ष 2015-16 = 4,02,585/- (माह अगस्त 2015 तक)

(4) साइट पर रखे हुए पीसीसी ब्लाक का उपयोग होने के बाद चौकीदारी हेतु लगाये गये कार्यप्रभारी कर्मचारियों को विभाग में ही अन्य निर्माण कार्यों/नहर पर रख-रखाव हेतु स्थानान्तरित कर दिया जाना प्रस्तावित है।

मीसा डी.आई.आर. बंदियों के पेंशन प्रकरण

23. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए सरकार ने पेंशन योजना स्वीकृत की है लेकिन इस हेतु आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों से गायब होने के कारण आवेदकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तथा बड़ी संख्या में आवेदन जिला कलक्टरों के पास लम्बित हैं?

(2) उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं? पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार साधारण धाराओं 107, 116, 151 सी.आर.पी.सी. आदि में बंदी रहे लोगों को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार नें अधिसूचना दिनांक 28.02.2014 द्वारा मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए पेंशन नियम जारी किए हैं। कुछ जिलों में आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों में उपलब्ध नही है जिससे कुछ आवेदन जिला कलक्टरों के पास लम्बित हैं।

(2) रिकार्ड उपलब्ध होने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालयों से प्राप्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)।

(3) जी हां। रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व नियमों में संशोधन विचाराधीन है।

(4) इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट-अ

मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों का रिकार्ड जेल से गायब होने के सम्बन्ध में जिला कलक्टरों से प्राप्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिला	जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त सूचना
1	2	3
1	श्रीगंगानगर	रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने का कोई प्रकरण नहीं है।
2	हनुमानगढ़	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
3	चूरू	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
4	झुंझुनूं	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
5	सीकर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
6	अलवर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
7	जयपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
8	भरतपुर	4 प्रकरणों के रिकार्ड दीमक लगने एवं पानी में भीगने के कारण नष्ट हो गये हैं।
9	धौलपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
10	करौली	1 प्रकरणों में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
11	सवाईमाधोपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
12	कोटा	• पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर के अनुसार रिकार्ड उपलब्ध है। • पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के अनुसार केवल 6 बंदियों का रिकार्ड काफी पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सका है।
13	झालावाड़	समस्त थानों से रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया है।
14	बारां	बारां जिले में 9 आवेदकों का रिकार्ड अधूरा उपलब्ध है।

1	2	3
15	चित्तौड़गढ़	• पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। • सहायक कारापाल,उपकारागृह, निम्बाहेडा में बंदी रहने की अवधि का रिकार्ड दीमक लग जाने से नष्ट होकर उपलब्ध नहीं हो रहा है।
16	भीलवाड़ा	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर की रिपोर्ट अनुसार उनके यहां रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
17	प्रतापगढ़	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
18	डूंगरपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
19	बांसवाड़ा	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
20	उदयपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
21	सिरोही	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
22	जालौर	मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों के रिकार्ड बाबत् थानों/ कार्यालयों का रिकार्ड तलब किया जा चुका है।
23	बाड़मेर	2 प्रकरणों में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
24	जैसलमेर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
25	बीकानेर	रिकार्ड 40 वर्ष पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं है।
26	जोधपुर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
27	नागौर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
28	पाली	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
29	राजसमन्द	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
30	अजमेर	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
31	टोंक	दीमक लगने के कारण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।
32	बूंदी	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।
33	दौसा	सभी प्राप्त आवेदनों का रिकार्ड उपलब्ध है।

प्रदेश में कम्प्यूटर संचालित मशीनों द्वारा राशन सामग्री का वितरण

24. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राशन डीलरों के राशन सामग्री वितरण पर प्रभावी मानिटरिंग करने हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राशन डीलरों को कम्प्यूटर संचालित मशीनों द्वारा राशन सामग्री वितरण करने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्प्यूटर संचालित मशीनों का व्यय किसके द्वारा वहन किया जायेगा व क्या उक्त मशीनों के संचालन हेतु राशन डीलरों को अलग से कोई भत्ता या मानदेय स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राशन सामग्री का आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा वितरण कब से प्रारम्भ किया जाना था तथा वर्तमान में कहां-कहां डीलरों द्वारा आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन क्षेत्रों में आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है, उक्त क्षेत्रों में विलम्ब के क्या कारण हैं? सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा राशन सामग्री का वितरण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार द्वारा राशन डीलरों को कम्प्यूटर संचालित मशीनें देने का चयन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है तथा उचित मूल्य दुकानों पर POS (Point of sale) मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मशीन द्वारा लाभार्थी/उपभोक्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन कर राशन सामग्री का वितरण कराये जाने की योजना है, जिससे पात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को राशन सामग्री का वितरण नहीं हो। इससे पारदर्शिता के साथ वितरण व्यवस्था पर प्रभावी मानिटरिंग हो सकेगी।

(2) जी हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2015 को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) POS (Point of sale) मशीन उचित मूल्य दुकानदार को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। POS मशीन स्थापित करने वाले डीलर को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा देय वितरण कमीशन के अतिरिक्त 0.17 रुपये प्रति किलोग्राम अतिरिक्त कमीशन देय होगा। इसमें से 0.10 रुपये प्रति किलोग्राम POS मशीन की कीमत वसूल होने तक राज्य सरकार समायोजित करेगी एवं शेष 0.07 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान अतिरिक्त कमीशन के रूप में डीलर को किया जायेगा। POS मशीन की वास्तविक कीमत वसूल होने के पश्चात् उचित मूल्य दुकानदारों को अतिरिक्त कमीशन की सम्पूर्ण राशि 0.17 रुपये प्रति किलोग्राम देय होगी।

(4) वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण के तहत राज्य की उचित मूल्य दुकानों पर चरणबद्ध रूप से POS मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम चरण में चयनित आठ जिलों (अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं, धौलपुर, बारां, झालावाड, टोंक एवं बून्दी) में POS मशीन स्थापित की जा रही है, जिनके माध्यम से राशन सामग्री वितरण कराया जाना प्रारम्भ किया जा चुका है।

(5) प्रथम चरण में चयनित आठ जिलों (अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं, धौलपुर, बारां, झालावाड़, टोंक एवं बून्दी) में POS मशीन स्थापित की जा रही है। शेष रहे जिलों में से सात जिले (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अलवर) द्वितीय चरण में है तथा शेष जिलों में तृतीय चरण में POS मशीन स्थापित करने की योजना है। द्वितीय चरण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

(6) राज्य सरकार द्वारा POS (Point of sale) मशीन पूरे राज्य में ही लागू की जा रही है। प्रथम चरण में आठ जिलों (अजमेर, सीकर, झुन्झुनूं, धौलपुर, बारां, झालावाड़, टोंक एवं बून्दी) में, द्वितीय चरण में सात जिलों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं अलवर) में तथा तृतीय चरण में शेष जिलों में POS (Point of sale) मशीन स्थापित किये जाने की योजना है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
जयपुर, दिनांक 27.07.2015
अधिसूचना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक नियंत्रित वस्तुएं उपभोक्ताओं को नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्डस पर उचित मूल्य दुकानों से सुविधापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार, एतदद्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश, 1976 के खण्ड-20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य के समस्त उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारकों को निम्न निर्देश प्रदान करती है :—

1. जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राज्य सरकार से PoS (पाइन्ट आफ सेल) मशीनें प्राप्त की गई हैं, उनको केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार देय वितरण कमीशन के अतिरिक्त 17.00 पैसा प्रति किलो अतिरिक्त कमीशन देय होगा। इसमें से 10.00 पैसा प्रति किलो PoS मशीन की कीमत वसूल होने तक राज्य सरकार समायोजित करेगी एवं शेष 07.00 पैसा प्रति किलो का भुगतान अतिरिक्त कमीशन के रूप में एफ.पी.एस. डीलर को किया जावेगा। PoS मशीन की वास्तविक कीमत वसूल होने के पश्चात् उचित मूल्य दुकानदारों को अतिरिक्त कमीशन की सम्पूर्ण राशि 17.00 पैसा प्रति किलो देय होगी।
2. मशीन से उपभोक्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात् राशन सामग्री प्राप्ति से सम्बन्धित विवरण की प्रिन्टेड पर्ची स्वचालित प्रक्रिया से निकाली जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जावेगी।
3. जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राज्य सरकार से PoS मशीनें प्राप्त करने के बाद भी PoS मशीनों द्वारा वितरण नहीं किया जायेगा, उनको राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित देय वितरण कमीशन का भुगतान नहीं किया जावेगा और ना ही 17.00 पैसा प्रति किलो अतिरिक्त कमीशन का भुगतान देय होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
4. जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई PoS (पाइन्ट आफ सेल) मशीन द्वारा वितरण कार्य किया जावेगा, उनके द्वारा मशीन के रखरखाव से सम्बन्धित स्टेशनरी, विद्युत एवं अन्य रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय अतिरिक्त कमीशन राशि में से किया जावेगा तथा मशीनों को चालू अवस्था में रखा जावेगा। मशीनों के खराब होने की स्थिति में सेवाप्रदाता से सम्पर्क कर अविलम्ब मशीन ठीक कराई जावेगी तथा किसी

भी स्थिति में एक माह से अधिक मशीन खराब नहीं रखी जावेगी। मशीन खराब होने पर यदि एक माह में मशीन ठीक कराकर मशीन से वितरण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध प्राधिकारपत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

5. जिन उचित मूल्य दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा PoS (पाइन्ट आफ सेल) मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उनके द्वारा मशीन उपलब्ध कराये जाने तक पूर्व से जारी व्यवस्थानुसार उपभोक्ताओं को उनके डिजिटाइज्ड राशनकार्ड पर पूर्वानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी तथा मशीन प्राप्त करने के पश्चात् डीलर द्वारा मशीन के माध्यम से ही राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा।

यह निर्देश दिनांक 01 अगस्त, 2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होंगे तथा इन निर्देशों की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत दण्डनीय होगी।

[एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./2010-II]
राज्यपाल की आज्ञा से,
ह
(आकाश तोमर)
शासन उप सचिव

प्रश्न संख्या-25

(स्थगित)

आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति

26. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में विगत पांच वर्षों में सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कितनी राशि के कार्य करवाये गये?

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाई जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कहां करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों में सलाहकारों की भी नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य करवाये गये:-

(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
1	2010-11	747.29	73.29
2	2011-12	992.93	77.03
3	2012-13	1319.70	79.06
4	2013-14	1046.22	353.20
5	2014-15	384.76	58.86

(2) जी हां। यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। विगत पांच वर्षों में साइट लैब के अतिरिक्त, कार्यों की जांच निम्न एजेंसियों द्वारा कराई गई:-

1. मैसर्स एमएसएमई-टैस्टिंग स्टेशन सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई विकास संस्थान (भूतल) बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा, जयपुर।
2. मैसर्स हाईटैक साईटिफिक कॉरपोरेशन,
   (ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)
   8/11/43-44, ओटोमोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर
3. मैसर्स नमोटेक लैबोरेटरी
   (ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)
   113/2, विश्वेशरैया नगर, त्रिवेणी नगर मोड, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

4. मैसर्स अग्रवाल एसोसिएटस

(ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)

56, विजय नगर, डी-ब्लाक, मालवीय नगर, जयपुर

5. मैसर्स आर.जी. डंगायच एण्ड एसोसिएटस इन्जिनियर्स- आर्किटेक्टस कंसलटेंटस

(ISO 9001:2008 CERTIFIED Material Testing Division)

35-36, टांसपोर्ट नगर, जयपुर

इसके अतिरिक्त डी.पी.आर. तैयार करने वाले सलाहकार द्वारा भी समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है।

(3) जी हां। यह सही है, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा एवं पर्यटन विभाग द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत वास्तु सलाहकारों के पेनल से एवं खुली निविदा से आवश्यकतानुसार दरें आमंत्रित कर सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है ।

पिछले पांच वर्षों में नियुक्त सलाहकारों को किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	सलाहकार का नाम	भुगतान राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1	बाजारों में फसाड संरक्षण एवं विकास कार्य	मैसर्स द्रोणा, गुडगांव	2.78
2	टायलेट सुविधा निर्माण मैण्फोमस कार्य विद्याधर का बाग	मैसर्स दी फोम्स, जयपुर	0.33
3	एस.एम.एस. टाउन हाल म्यूजियम हेतु	मैसर्स द्रोणा, गुडगांव	20.72
4	विद्युतीकरण कार्य, आमेर	मैसर्स आई.डी.एस.पी.एल., दिल्ली	9.35
5	विद्युतीकरण कार्य, घाट की गूणी	मैसर्स आई.डी.एस.पी.एल., दिल्ली	3.91

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

1	2	3	4
6	हाथी गांव विकास कार्य हेतु	मैसर्स आर. एन. मल्होत्रा, मुम्बई	5.27
7	पन्न मीणा बावड़ी का विकास, संरक्षण एवं मरम्मत कार्य	मैसर्स दी फोम्स, जयपुर	2.56
8	संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य, नाहरगढ़	मैसर्स दी फोम्स, जयपुर	3.36
9	संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य, आमेर	मैसर्स दी फोम्स, जयपुर	1.67
10	रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जंतर-मंतर	मैसर्स रोहित जिज्ञासु, चण्डीगढ	3.50

बड़ी सादड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

27. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं और कितने-कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वस्त्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने पर कार्यवाही

28. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में रोक के बावजूद रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रथम व द्वितीय की कपड़ा इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी नालों में छोड़ा गया है, की जानकारी स्थानीय किसानों द्वारा आर.पी.सी.बी. अधिकारियों को देने पर उन्होंने नाले में बहते पानी के सेम्पल लिए हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सेम्पलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैक्ट्रियों का लाइसेंस निरस्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली व बालोतरा में किसानों की शिकायतों के अतिरिक्त आरपीसीबी अधिकारियों ने कितने सेम्पल लिए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पाली व बालोतरा में लगी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने के कारण व अधिकारियों का स्वत: सेम्पल न लेने, अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच न करने के कारण उक्त दोनों शहरों के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है? क्या सरकार द्वारा उक्त स्थानों के निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार को उक्त दोनों शहरों में स्थानीय संगठनों व किसानों द्वारा बार-बार कपड़ा इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी नालों के जरिये नदी में छोड़ने के विरुद्ध शिकायतें मिल रही हैं?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कपड़ा इकाइयों के मालिकों के दबाव के कारण ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदूषित पानी न छोड़ने के लिए कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों के सत्यापन हेतु बहते हुये प्रदूषित जल के नमूने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा एकत्रित किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

(2) राज्य मंडल द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध मौका निरीक्षण एवं सेम्पलिंग के आधार पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने, सम्मति निरस्त करने एवं इकाई बंद करने के निर्देश जारी किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) प्राप्त शिकायतों के अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/01/2015 से पाली में 32 एवं बालोतरा में 04 सेम्पल स्वत: ही लिए गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) पाली एवं बालोतरा के चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों का नियमित रूप से जांच/परीक्षण एवं उपचार किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गये प्रदूषित पानी से किसी रोग विशेष के रोगी चिन्हित नहीं हुए हैं। उक्त दोनों शहरों में इस सम्बन्ध में अलग से कोई सर्वे नहीं करवाया गया है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं। वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल को भूमि पर अथवा नदी में वाहित करने पर, दोषी इकाइयों के विरुद्ध राज्य मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। विगत 2 वर्षो में अवहेलना करने वाली पाली की कुल 78 इकाइयों एवं बालोतरा की कुल 39 इकाइयों को बंद करने एवं उनके जल/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश जारी किये गये हैं। ठोस योजना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक हटाने की कार्य योजना

29. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रवेश पर रोक को समाप्त करने पर सरकार पुन: विश्वविद्यालय को संसाधन व धनराशि मुहैया कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आदेश क्रमांक प. 16 (2) शिक्षा-4/2014, दिनांक 3.7.2015 द्वारा प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विश्वविद्यालय को जारी रखने अथवा बन्द करने का निर्णय मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है।

(3) जब तक विश्वविद्यालय को जारी रखने अथवा बन्द करने का अंतिम निर्णय सक्षम स्तर पर नहीं हो जाता तब तक विश्वविद्यालय को अतिआवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प. 16 (2)शिक्षा-4/2014 जयपुर, दिनांक : 03.07.2015

कुलसचिव,
हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :—सत्र 2015-16 के लिए की जा रही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर समीक्षाधीन है। अत: अग्रिम आदेश तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी जाती है। कृपया तदनुसार कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करने का श्रम करें।

ह./-
(डा. आलोक कुमार जैन)
वास्ते संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सर्वे में हुई अनियमितता की जांच

30. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिये सर्वे करवाने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो किन-किन फर्मों द्वारा व किस-किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सर्वे करवाने वाली फर्मों का चयन टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो टेण्डर प्रक्रिया किस स्तर पर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सर्वे करने की दरें किस स्तर पर व किस प्रक्रिया के तहत तय की गयीं? क्या इसकी कभी जांच की गई? यदि हां, तो जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4.5.11 के द्वारा राज्य के समस्त नगरों/कस्बों में नगरीय विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित कार्यो हेतु कन्सलटेन्टस का पैनल तैयार किया गया था। जिनमें से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आदेश दिनांक 21.09.11 के द्वारा रिवाइजड डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट का पैनल तैयार किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ' पर संलग्न है। इन कन्सलटेन्ट से विभिन्न कार्य किन दरों पर कराये जाने हैं उसके लिये आदेश दिनांक 22.7.11 के तहत दरों का निर्धारण फर्मवार नहीं किया जाकर कार्यवार किया गया एवं जिसकी निरन्तरता में आदेश दिनांक 21.9.11, 30.9.11, 26.6.12, 8.8.12 एवं 8.11.12 जारी किये गये। उक्त आदेशों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 18.11.10 को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के समाचार पत्रों में "ऐक्सप्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट" जारी कर कन्सलटेन्ट से तकनीकी एवं वित्तीय बिड आमंत्रित की गई। राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की समिति द्वारा कन्सलटेन्ट का पैनल तैयार किया गया था। उन्ही में से दिनांक 21.09.11 को डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट का पैनल बनाया गया।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) सर्वे की दरों का निर्धारण विभिन्न नगरीय निकायों/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये कार्यादेशों एवं स्वीकृत दरों के आधार पर प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 1.7.11 में लिये गये निर्णय अनुसार किया गया। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण किसी प्रकार की जांच नही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के धारिया बांध पर व्यय राशि

31. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जवाली नदी पर निर्मित धारिया बांध पर निर्माण से अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध का सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या सरकार इसके कमाण्ड क्षेत्र में जवाली गांव के राजस्व क्षेत्र को भी शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जवाली नदी पर निर्मित धारिया बांध पर अब तक कुल 484.85 लाख रुपये का व्यय किया गया है। बांध निर्माण पर लघु सिंचाई मद (4702) में 445.47 लाख रुपये एवं बाढ़ सुरक्षा मद (2245) में 39.38 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(2) जी हां। धारिया बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु लघु सिंचाई मद में प्रशासनिक तकमीना परीक्षण की प्रक्रिया में है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। धारिया बांध की भराव क्षमता के अनुसार लाभान्वित होने वाले गांवों का निर्धारण हो चुका होने के कारण अब जवाली गांव के राजस्व क्षेत्र को शामिल किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही

32. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में महंगाई रोकने हेतु जमाखोरों के विरुद्ध निरन्तर कठोर कार्यवाही करने व आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण करने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए सचिव स्तरीय समूह का गठन किया गया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी की वर्ष 2013 से 31 जुलाई, 2015 तक कितनी बैठकें आयोजित की गईं एवं उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये? बैठकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश पर उठाये गये कदम एवं कन्टीजेन्सी प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में मंहगाई रोकने एवं जमाखोरों के विरुद्ध निरन्तर कठोर कार्यवाही करने तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(3)खा.वि./न्याय/1994-II दिनांक 08.07.2014 के द्वारा किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कमेटी की एक बैठक दिनांक 10.07.2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में चार सचिव स्तरीय समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्याज व आलू को भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन की पालना में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची--I के भाग-ई में जोड़ने की कार्यवाही तथा आलू, प्याज एवं दालों के भावों के मूल्यों का ग्राफ करने आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, जिसकी रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट/सिफारिश अनुसार राज्य में आलू व प्याज के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची -I में आलू एवं प्याज को जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2014 में जोड़ा गया है तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2015 एवं 15.07.2015 को

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अधिसूचना जारी कर राज्य में दालों एवं दलहनों पर लाइसेन्स व्यवस्था एवं भण्डारण सीमा लागू की गई, जिससे निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक करने (जमाखोरी) पर अंकुश रहेगा। जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2014, 22.06.2015 एवं 15.07.2015 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश की एफ.एस.एस. संस्थाओं को ऋण देने की योजना

33. सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में एफ.एस.एस. संस्थाएं व्यवस्थित कार्य नहीं कर पा रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार इन्हें 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं पर बैंक आफ बड़ौदा के आधिपत्य को समाप्त कर कापरेटिव बैंक को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर कृषकों को समस्त प्रकार के ऋण/सेवाऐं एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से कृषक सेवा सहकारी समितियों (एफ.एस.एस.) का गठन किया गया था। उक्त संस्थाऐं वाणिज्यिक बैंकों से वित्त पोषित हैं। सहकारी विभाग के स्तर से इनके क्रियाकलापों की समीक्षा नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जमवारामगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

34. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु योजना बनाई गई है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने/नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तथापि वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 97 के अनुसार निम्न घोषणा की गयी :-

"मैं घोषणा करती हूं कि शेष रही 657 ग्राम पंचायतों पर निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, में फेज्ड मेनर में चयनित स्कूलों को बारहवीं तक क्रमोन्नत किया जावेगा"।

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में प्रथम चरण में 114 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 12.05.2015 को क्रमोन्नति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष रही ग्राम पंचायतों में बजट घोषणानुसार आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की जिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है, की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। बजट घोषणा 2015-16 के अनुसार शेष रही नवगठित पंचायतों, जिनमें गैर-सरकारी/सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, उनमें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान नहीं रखे जाने के कारण कोई भी नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया और न ही प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट-क

विधान सभा जमवारामगढ़ में ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें कोई भी राजकीय या निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का प्रकार नवगठित या पूर्व स्थापित	ग्राम पंचायत में स्थापित उच्चतम राजकीय विद्यालय का नाम व स्थान	विद्यालय का वर्तमान स्तर
1	भूरानपूरा	नवगठित	राउप्रावि भूरानपुरा	उप्रावि
2	नांगल तुलसीदास	नवगठित	रामावि निम्बी बासना	माध्यमिक
3	केला का बास	नवगठित	राउप्रावि केला का बास	उप्रावि
4	राम्यावाला	नवगठित	राउप्रावि राम्यावाला	उप्रावि
5	लाली	नवगठित	रामावि नयाबास	माध्यमिक

ह./-
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रदेश में तेल उत्खनन से प्राप्त राजस्व

35. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रिफाइनरी लगाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में उत्खनन से प्रतिदिन कितना तेल निकाला जा रहा है व इससे सरकार को प्रतिमाह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त से प्राप्त राजस्व राशि किस-किस कार्य पर किन मानदण्डों के आधार पर व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिफाइनिंग सेक्टर वर्ष 1998 से लाइसेंस मुक्त होने से कोई भी समृद्ध उद्यमी रिफाइनरी लगा सकता है, जिसके लिए क्रुड की उपलब्धता, भूमि, पानी एवं उपभोक्ता केन्द्र सुनिश्चित करना आवश्यक होता है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में बाड़मेर-सांचौर बेसिन के मंगला, भाग्यम, एश्वर्या, सरस्वती एवं रागेश्वरी क्षेत्र से लगभग 1,75,000 बैरल्स प्रतिदिन की दर से खनिज तेल का दोहन किया जा रहा है । इससे सरकार को रायल्टी के रूप में लगभग 250-275 करोड़ प्रतिमाह राजस्व प्राप्त हो रहा है।

(3) राज्य की समस्त आय समेकित निधि (Consolidated Fund) में जमा होती है, आय के विरुद्ध व्यय राज्य की समेकित निधि से विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के अनुसार किया जाता है।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में उपकरणों की खरीद में अनियमितता

36. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेन्टर द्वारा करोड़ों रुपये के उपकरण नियम विरुद्ध बिना ई टेण्डर किये बेसिल्स कंपनी से खरीदे गये? यदि हां, तो कब एवं किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बेसिल्स कंपनी को नियम विरुद्ध लाखों रुपये कमीशन व टैक्स पेटे दिये गये हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जी.एफ. एण्ड आर. के नियमों के अनुसार परचेज कमेटी में लेखा सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है? यदि हां, तो क्या करोड़ों के उपकरण खरीद में लेखा सेवा के वरिष्ठतम सदस्य को शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त परचेज कमेटी में किन-किन सदस्यों को सम्मिलित किया गया ? नामवार, पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में अनियमितताओं के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एजुकेशनल मल्टीमीडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर द्वारा उपकरण शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी) नई दिल्ली, जो कि यूजीसी के अधीन इन्टरयूनिवर्सिटी सेन्टर है तथा मीडिया सेन्टरों की एक नोडल एजेन्सी है, के दिशा-निर्देशो के अनुसार ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल), जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न कम्पनी है, के माध्यम से नियमानुसार क्रय किए गये।

(2) जी नहीं। बेसिल कंपनी को कमीशन पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है। यूजीसी एक्ट 1956 के सैक्शन 12 सीसीसी के अन्तर्गत गठित शैक्षिक संचार संस्थान के उपकरण क्रय करने के दिशा-निर्देश क्रमांक सीईसी/83 डीआईआर मीट/08/15280 दिनांक 08.11.2010 के अनुसार बेसिल कम्पनी (भारत सरकार का उद्यम) के साथ अनुबन्ध किया गया तथा अनुबन्ध की शर्तानुसार प्रोफेशनल फीस तथा सर्विस टैक्स का भुगतान किया गया।

(3) जी हां। जीएफ एण्ड एआर भाग-।। के नियम 50 (i) के अनुसार परचेज कमेटी में लेखा सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। विश्वविद्यालय द्वारा क्रय समिति में वित्तीय सलाहकार को शामिल किया गया तथा सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा शाखा) ने वित्त एवं लेखा सेवा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया।

(4) क्रय (परचेज) समिति की दिनांक 28.03.2012 को आयोजित बैठक में निम्न सदस्य को सम्मिलित किया गया :-

i. The Financial Advisor, JNV University, Jodhpur.
ii. University Engineer, building cell, JNV University, Jodhpur.
iii. Dr. K.L. Sharma, Professor, Department of Electronics & Communication Engg.
iv. Dr. Rajesh Bhadada, Head, Department of Electronics & Communication Engg.
v. Prof. D.S. Kheechee, Member Syndicate
vi. Prof. C.R. Choudhary, Member Syndicate
vii. Prof. K.R. Choudhary, Head, Department of Electronics & Communication Engg.
viii. Shri Vinod Chandra Sati, Producer-II, EMMRC
ix. Shri C.S. Charan, Assistant Engineer, EMMRC
x. Shri AKC Bhandari, Cameraperson, EMMRC
xi. Asstt. Registrar, Faculty of Engg., JnV University, Jodhpur
xii. Prof. DGM Purohit, Director, EMMRC

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(5) उक्त प्रकरण में हुई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में सीवीसी द्वारा भेजी गई याचिका के संदर्भ में सीईसी (यूजीसी की नोडल एजेन्सी) के पत्र संख्या सीईसी/2/53/प्रशासनिक/विज/प्रेलइन्क्यारी/2015 57235 दिनांक 31.07.2015 द्वारा एक सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। (परिशिष्ट-1) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर में अल इस्हाकिया अल अशफकिया ट्रस्ट को आबंटित भूमि

37. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षो में जोधपुर शहर से लगते राजस्व ग्राम गंगाणा व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आवासीय योजना राजीव गांधी नगर के पास स्थित कृषि भूमि अल इस्हाकिया अल अशफकिया ट्रस्ट को हस्तान्तरित की है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितने बीघा भूमि, किस दर से?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी भूमियां रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ही आबंटित/हस्तान्तरित की जा सकती हैं? क्या अल इस्हाकिया व अल अशफकिया ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि आबंटन के समय उक्त भूमि की कीमत अनेक गुणा अधिक थी? फिर भी यह भूमि अल इस्हाकिया व अल अशफकिया ट्रस्ट को बिना विधिवत कीमत वसूल किये तथा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही आबंटित/हस्तान्तरित कर दी गई? यदि हां, तो हस्तान्तरण एवं ट्रस्ट से सम्बन्धित दस्तावेज सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल इस्हाकिया अल अशफाकिया को यूनानी कालेज, बालिका विद्यालय एवं छात्रावास हेतु ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 1 व 2 में 33 बीघा भूमि का आबंटन मंत्रिमण्डल की आज्ञा 119/2013 की अनुपालना में पत्र क्रमांक प.3(26)नविवि/3/2012 पार्ट 01 दिनांक 02.07.2013 द्वारा एक रुपया टोकन राशि पर आबंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आबंटन पत्र क्रमांक एफ 46/आबंटन (पश्चिम)/2013/260 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को संस्था के नाम जारी किया गया। लेकिन आबंटित भूमि पर ग्रामीणों के अतिक्रमण होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका।

(2) हां। यह सही है कि ऐसी भूमियां रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ही आबंटित की जा सकती हैं। अल इस्हाकिया अल अशफाकिया संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है। संस्था द्वारा डीड का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय से करवाया गया है। जो डीड पत्र पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 26 क्रम संख्या 94 पृष्ठ संख्या 191 दिनांक 02.04.1996 पर पंजीबद्ध है।

(3) हां। यह सही है कि उक्त भूमि 1 रुपये टोकन राशि पर आबंटित की गई है। जबकि आबंटन के समय, उस क्षेत्र की विकसित भूमि की आरक्षित दर 4300+20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क (860) = 5160/- रुपये वर्गमीटर थी। उक्त भूमि मंत्रिमण्डल की आज्ञा 119/2013 की अनुपालना में पत्र क्रमांक प.3(26)नविवि/3/2012 पार्ट 01 दिनांक 02.07.2013 द्वारा एक रुपया टोकन राशि पर आबंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आबंटन पत्र क्रमांक एफ 46/आबंटन (पश्चिम)/2013/260 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को संस्था के नाम जारी किया गया। लेकिन आबंटित भूमि पर ग्रामीणों के अतिक्रमण होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। ट्रस्ट से सम्बन्धित दस्तावेज, मंत्रिमण्डल आज्ञा, विभागीय पत्र दिनांक 02.07.2013 एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आबंटन पत्र दिनांक 13.09.2013 की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जवाई बांध पुनर्भरण हेतु वृहत् परियोजना रिपोर्ट

38. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले के जवाई बांध पुनर्भरण के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को इसकी डी.पी.आर. "वृहद परियोजना रिपोर्ट" केन्द्रीय जल आयोग को भिजवाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही सहित प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली से जवाई पुनर्भरण प्रस्ताव सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा उक्त पत्र पर की गई कारवाई एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट- अ

पाली जिले के जवाई बांध पुर्नभरण प्रस्ताव/प्राप्त पत्र पर की गई कारवाई का विवरण

जल संसाधन विभाग द्वारा साबरमती जल ग्रहण क्षेत्र के अधिशेष जल से जवाई बांध को भरने हेतु एक प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर योजना को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने एवं सर्वे कर प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर को मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रेषित की गई थी। निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 27.03.2015 द्वारा आक्षेप प्राप्त हुये थे। इसकी अनुपालना में मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्रेषित कर दी गई थी।

वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एस.पी.आर.-III) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.08.2015 के द्वारा वृहत परियोजना रिपोर्ट/फिजिबिलिटी रिपोर्ट यथा स्थिति आगामी कारवाई हेतु केन्द्रीय जल आयोग में जमा कराने हेतु पत्र शासन सचिव, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर को दिनांक 27.08.2015 को प्राप्त होने पर मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 01.09.2015 द्वारा निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर को उक्त पत्र की प्रति भेजते हुये जवाई बांध पुर्नभरण प्रस्ताव की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भिजवाने हेतु आग्रह किये जाने पर निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर ने पत्र दिनांक 02.09.2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता, यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट संलग्न करते हुये परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने एवं वृहद परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु पांच बिन्दुओं पर परीक्षण पश्चात सक्षम स्तर से निर्णय कराने की अनुशंसा की गई।

आयुक्त राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण एवं सचिव, जल संसाधन, जयपुर के पत्र दिनांक 04.09.2015 द्वारा महा निदेशक, राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली को 12.29 करोड़ की डी.पी.आर. की तैयार करने हेतु एवं इन्द्रा स्टेट लिंकिंग परियोजना घोषित किये जाने हेतु लिखा है।

प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद

39. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने-कितने एवं उक्त पदों को किस प्रकार भरा जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 19 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं। आवासीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, पदों की स्वीकृत आदेश परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इन पदों को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

40. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) जी हां। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं पंचायती राज विभाग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नर्सरियां विकसित करने के मानदण्ड

41. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वन व चरागाह भूमि पर नर्सरियां विकसित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्सरियां विकसित की गई हैं? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त नर्सरियों की देखभाल कौन कर रहा है? उक्त नर्सरियों में वर्तमान में कितने पौधे लगे हैं व फेन्सिंग की क्या स्थिति है? विगत दस वर्षों में विकसित की गई नर्सरियों का ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार, मय पौधों की संख्या, फैंसिंग/एंगल की स्थिति, खसरा नम्बर एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज़ रखें।।

उत्तर

(1) वन एवं चरागाह भूमि पर नर्सरियां विकसित करने हेतु विभागीय कार्यों के लक्ष्य तथा कृषकों/अन्य विभागों को पौध वितरण, पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता, श्रमिक उपलब्धता व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष "प्रदेश की पौधशालाओं" नामक पुस्तक जारी की जाती है जिसमें प्रदेश की समस्त नर्सरियों में तैयार किये गये पौधों की सूचना भी समाहित होती है। पौधशाला चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-क पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थाई नर्सरियां विकसित नहीं की गई हैं। नर्सरियों सम्बन्धित विवरण मय ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार, गत 10 वर्ष में तैयार किये गये पौधों की संख्या, फैन्सिंग/ एंगल की स्थिति, खसरा नम्बर एवं व्यय राशि संलग्न परिशिष्ट-ख पर है। इन नर्सरियों की देखभाल विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में संकायानुसार स्नातकोत्तर महाविद्यालय का संचालन

29. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय को संकाय अनुसार दो भागों में (विज्ञान एवं वाणिज्य) विभाजित किया गया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दोनों संकाय के महाविद्यालय फैकल्टी एवं भवन सहित विभाजित होकर संचालित हो गए हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो सरकार अब कब तक दोनों संकायों के महाविद्यालयों को पृथक्-पृथक् संचालित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दौसा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को संकाय अनुसार दो भागों में (विज्ञान एवं वाणिज्य) विभाजित किया गया है, आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा को संकाय अनुसार दो भागों में (विज्ञान एवं वाणिज्य) विभाजित किया गया है तथा वर्तमान में मूल महाविद्यालय में दोनों महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विभाजित महाविद्यालय हेतु पृथक से भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा भूमि आबंटन होने के पश्चात भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करवा कर भवन निर्माण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारजनों को देय सुविधा

30. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितने जवान सीमा पर नक्सली हमले व आतंकी हमलों में शहीद हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त शहीद जवानों के परिवारजनों को क्या-क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गोलमा)

(3) क्या सरकार उक्त शहीदों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में सीमा पर नक्सली हमले व आतंकी हमलों में राज्य के 36 सैनिक शहीद हुए हैं। इनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त शहीदों के आश्रितों को कारगिल पैकेज के तहत सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा शहीदों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधायें पूर्व से ही नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों से वसूले जा रहे शिक्षण शुल्कों में भिन्नता

31. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों से वसूले जा रहे शिक्षण शुल्क भिन्न-भिन्न हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने बायज फण्ड के नाम से फीस वसूली के लिए कोई नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो राजकीय महाविद्यालयों में बायज फण्ड में अलग-अलग राशि कैसे वसूली जा रही है? विवरण सदन की मेज़ रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों से वसूले जा रहे शिक्षण शुल्क में कोई भिन्नता नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों से छात्र निधि शुल्क आधी दर से वसूल किया जाता है, जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। समस्त राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा छात्र शुल्क मद के विभिन्न उप मदों में शुल्क का निर्धारण स्थानीय स्तर पर

(उच्च शिक्षा मंत्री)

विद्यार्थियों की सहमति से किया जाता है, इस सम्बन्ध में आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के स्तर से जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बी.सी.ए. में पूरक विद्यार्थियों को एम.सी.ए. में प्रोविजनल प्रवेश देने की योजना

32. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा वर्ष 2015 के सत्र में बी.सी.ए. के ऐसे विद्यार्थी, जिनकी सप्लीमेंट्री आई हैं, उनका एम.सी.ए. में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2014 तक उक्त यूनिवर्सिटी द्वारा बी.सी.ए. के ऐसे विद्यार्थी जिनके सप्लीमेन्ट्री आती थी, उन्हें एम.सी.ए. में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाता रहा है?

(3) क्या बी.सी.ए. के उपरोक्त विद्यार्थियों द्वारा सप्लीमेन्ट्री क्लीयर कर लेने पर एम.सी.ए. में प्रवेश के पात्र रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे विद्यार्थी जिनके बी.सी.ए. में सप्लीमेन्ट्री आई है, उन्हें राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा व उससे सम्बद्ध मान्यता प्राप्त कालेजों में एम.सी.ए. में प्रोविजनल प्रवेश दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता को राज्य सरकार द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करने के कारण।

(4) जी नहीं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

बाड़मेर जिले के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

33. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विद्यालयों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार नई भर्ती कर रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्तर के कितने विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? उक्त विद्यालयों में श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में प्रारम्भिक शिक्षा के साथ विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या-177/2015 द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय) नियम, 2015 दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। नियम बनने के तत्काल बाद पदोन्नति की प्रक्रिया से पद भरने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सीधी भर्ती के पद भी नये नियमों के अनुसार शीघ्र भर लिये जायेंगे।

(2) जी हां। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय) नियम, 2015 बनने के तत्काल बाद पदोन्नति से पद भरने की कार्यवाही की जायेगी। पदोन्नति के पद भरने के उपरान्त सीधी भर्ती के जो पद रिक्त होंगे, उन्हें भी राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय) नियम, 2015 के अनुसार शीघ्र भर लिये जायेंगे।

(3) बाड़मेर जिले के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय एवं इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(4) संस्कृत शिक्षा विभाग के पृथक से सेवा नियम होने के कारण रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विभागीय सेवा नियमों के अनुसार की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नैनवां (बूंदी) में आवासन मंडल के मकानों का निर्माण

34. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के नैनवां में अक्टूबर 2007 में आवासन मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे? यदि हां, तो एमआईजी-3 योजना में आवेदकों द्वारा पूरी राशि 2.40 लाख रुपये मंडल की मांग अनुसार जमा कराने के बावजूद भी आज दिनांक तक किसी भी तरह का निर्माण उक्त योजना में नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) उक्त योजनान्तर्गत पूर्ण राशि जमा कराने वाले आवेदकों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार उक्त शिथिलता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि बूंदी जिले के नैनवां में अक्टूबर 2007 में विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये। जिसमें मध्यम आय वर्ग-ब के आवास भी सम्मिलित थे। उक्त आवासों के निर्माण के हेतु मैसर्स शिल्पा कन्स्ट्रक्शन को कार्यालय आदेश क्रमांक 52 दिनांक 15.04.2011 को राशि रुपये 324.65 लाख जिसमें एम.आई.जी. अ-33 और एम.आई.बी-16, एच.आई.जी-12 आवासों का निर्माण सम्मिलित था, जारी किया गया। संवेदक द्वारा आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के फलस्वरूप जिन आवेदकों द्वारा शीड मनी राशि जमा करा दी गई, उन्हें दिनांक 19.03.2012 को आवास आबंटित कर दिये गये। परन्तु संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण विभाग द्वारा पेनल्टी स्वरूप राशि 12,68,615/- दिनांक 16.04.2012 को रोकते हुए संवेदक के विरुद्ध अनुबंध अनुसार शेष कार्य संवेदक की लागत एवं जोखिम पर कराये जाने बाबत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिस पर संवेदक द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा से स्थगन आदेश दिनांक 08.05.2013 को लिया गया है। प्रकरण न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में कब्जा दिये जाने की तिथि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) विभाग के स्तर पर कोई शिथिलता नहीं बरती गई है, क्योंकि विभाग द्वारा कार्य धीमा करने के कारण संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये राशि रु.12,68,615/- पेनल्टी स्वरूप दिनांक 16.04.2012 को रोकी गई व संवेदक को समय-समय पर नोटिस सी-1 क्रमांक 611 दिनांक 06.07.2012,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सी-2 क्रमांक 1055 दिनांक 14.08.2012, सी-3 क्रमांक 1284 दिनांक 20.09.2012 एवं सी-4 क्रमांक 2165 दिनांक 30.01.2013 जारी किये गये एवं शेष कार्य संवेदक की लागत एवं जोखिम पर कराये जाने हेतु अनुबंध अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिस पर संवेदक द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 30.09.2015 निहित है। संवेदक द्वारा माननीय आरबीट्रेशन में भी वाद चल रहा है।

अजमेर नगर परिषद में सम्पत्ति के नाम हस्तांतरण में अनियमितता पर कार्यवाही

35. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2004 में कार्यालय नगर परिषद्, अजमेर में किस-किस सम्पत्ति के गृहकर रिकार्ड, स्वामित्व में नाम हस्तांतरण किये जाने सम्बन्धी आवदेन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन की प्रति, आवेदन के साथ प्रस्तुत विधिक दस्तावेजों की प्रतियां, विभाग द्वारा प्राप्त इन आवेदनों के निस्तारण सम्बन्धी विभागीय कार्यालय टिप्पणियों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्पत्ति संख्या 442/35 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो आवेदन एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये विधिक दस्तावेजों की प्रति एवं कार्यालय द्वारा उस पर की गई कार्यवाही (कार्यालय टिप्पणी) एवं नाम हस्तांतरण के आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सम्पत्ति संख्या 442/35, उतार घसेटी, अजमेर के नाम हस्तान्तरण से पूर्व कार्यालय नगर परिषद्, अजमेर ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड का विधिक परीक्षण करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त परीक्षण किस उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किया गया और उक्त सम्पत्ति के मूल स्वामी द्वारा केवल मात्र 1/8 हिस्से की रिलीज डीड के आधार पर ही सम्पूर्ण सम्पत्ति के लिए नाम अन्य व्यक्ति के हक में किस आधार पर हस्तान्तरित कर दिया गया? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सम्पत्ति संख्या 442/35, उतार घसेटी, अजमेर का अवैध तरीके से किये गये नाम हस्तान्तरण को अविलम्ब निरस्त कर मूल स्वामी के नाम पुनः दर्ज करने का विचार रखती है एवं इस सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद, अजमेर में वर्ष 2004 के दौरान सम्पत्ति के गृहकर रिकार्ड, स्वामित्व के नाम हस्तान्तरण हेतु प्राप्त 28 आवेदन पत्रों का नामान्तरण किया जाकर निस्तारण किया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। हस्तान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की छायाप्रति सहित पत्रावली की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सम्पत्ति संख्या 442/35 के नाम हस्तांतरण करने हेतु दिनांक 02.04.2004 को आवेदन प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत आवेदन एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये विधिक दस्तावेजों की छायाप्रति परिशिष्ट 'स' एवं नगर निगम, अजमेर द्वारा उस पर की गई कार्यवाही एवं नाम हस्तांतरण के आदेश की प्रति 'द' पर संलग्न है।

(3) जी हां। तत्कालिक पैरोकर श्री सत्यनारायण जोशी द्वारा दिनांक 08.10.2004 को प्रकरण को विधिक परीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा प्रदत्त विधिक राय कार्यालय टिप्पणी के पैरा नम्बर 10 पर अंकित है। मात्र 1/8 हिस्से की रिलीज डीड के आधार पर सम्पूर्ण सम्पत्ति का नाम अन्य व्यक्ति के हस्तान्तरण करना प्रथम दृष्टिया प्रकट नही होता है।

(4) सम्पत्ति संख्या 442/35, उतार घसेटी, अजमेर में गृहकर नामान्तरण की उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर से जांच करवाई जा रही है। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण में वास्तुकारों के बकाया का भुगतान

36. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा टाऊन प्लानिंग/आर्किटेक्चर आदि वास्तुकारों का पैनल बनाकर ग्रुप हाऊसिंग योजना ग्राम-रातल्या, छितरोली, अचरावाला व दहमीखुर्द, जयपुर में बनवाई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं को प्राधिकरण की कमेटी द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को अनुमोदन भी कर दिया गया है ? हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 162 दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के अनुसार स्पष्ट उल्लेख है कि ''यदि वास्तुकारों द्वारा बनाई गई योजना का अनुमोदन विभाग की कमेटी द्वारा कर दिया जाता है, तो वास्तुकारों को उनका बकाया भुगतान अविलम्ब कर दिया जायेगा?'' यदि हां,

(श्री भजन लाल जाटव)

तो उक्त वर्णित ग्रामों की योजनाओं का कमेटी द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त भी अब तक वास्तुकारों को बकाया का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) अब सरकार उक्त ग्रामों की ऐसी अनुमोदित योजनाओं के बकाया का भुगतान सम्बन्धित वास्तुकारों को कब तक करवा देगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रकरण में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम रातल्या छितरोली अचरावाला व दहमीखुर्द जयपुर में ग्रुप हाउसिंग योजना का जविप्रा पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक 1/2006 दिनांक 10.04.2006 में अनुमोदन किया गया है। बैठक का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

क्र.सं.	योजना का नाम	फर्म का नाम	अनुमोदन दिनांक
1.	दहमीखुर्द ग्रुप हाउसिंग योजना।	एलीगेन्ट डिजाईन कन्सलटेन्ट	PWC की बैठक दिनांक 10.04.2006
2.	अचरावाला ग्रुप हाउसिंग योजना	एलीगेन्ट डिजाईन कन्सलटेन्ट	PWC की बैठक दिनांक 10.04.2006
3.	छितरोली आवासीय योजना	एलीगेन्ट डिजाईन कन्सलटेन्ट	PWC की बैठक दिनांक 10.04.2006
4.	रातल्या ऊर्फ रघुनाथपुरा	एलीगेन्ट डिजाईन कन्सलटेन्ट	PWC की बैठक दिनांक 10.04.2006

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तुकारों की योजनाओं के भुगतान की निर्धारित शर्तों हेतु कार्यालय आदेश एफ( )जविप्रा/एस.टी.पी.(बीपीसी)/2006 डी-162 दिनांक 05.04.2006 बीपीसी शाखा द्वारा जारी किया गया था। उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने पर ही निर्धारित शर्तानुसार वास्तुकारों को भुगतान किया जाना था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण के ग्राम रातल्या में ग्रुप हाउसिंग योजना के सर्वे का भुगतान ऐलीगेट डिजाइन कन्सलटेन्सी को राशि 37422/- रुपये पे आर्डर 1117 दिनांक 23.05.2008 से भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन योजनाओं (दहमीखुर्द, अचरावाला व छितरोली योजना) में उपरोक्त आदेशों के तहत योजना की फाइनल ड्राईग प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया था। उक्त परिपत्र में अंकित शर्त संख्या 2 अनुसार चूंकि योजना को निरस्त कर दिया गया था एवं योजना मानचित्र की हार्ड/साफ्ट कापी कार्यालय रिकार्ड के अनुसार ड्राइग रिकार्ड में जमा होना नहीं पाया गया। अत: अंकित शर्त के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के ग्राम रातल्या में ग्रुप हाउसिंग योजना के सर्वे का भुगतान ऐलीगेट डिजाइन कन्सलटेन्सी को राशि 37422/- रुपये पे आर्डर 1117 दिनांक 23.05.2008 से भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन योजनाओं में उपरोक्त आदेशों के तहत योजना की फाइनल ड्राइग प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया था। उक्त परिपत्र में अंकित शर्त संख्या 2 अनुसार चूंकि योजना को निरस्त कर दिया गया था एवं योजना मानचित्र की हार्ड/साफ्ट कापी कार्यालय रिकार्ड के अनुसार ड्राईग रिकार्ड में जमा होना नहीं पाया गया। अत: अंकित शर्त के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के आदेश की शर्तों के अनुसार कार्यवाही निष्पादित की गयी थी। अत: कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर नगर निगम द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति में अनियमितता की जांच

37. श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर हवामहल जोन-पूर्व में पत्रावली संख्या 2053 सरण दिनांक 06 नवम्बर, 1996 के द्वारा भवन एवं सरण दिनांक 14 सितम्बर, 2004 को निर्माण स्वीकृति के नवीकरण किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजों व नक्शों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण की पूर्व स्वीकृति के आधार पर आवेदक/आवेदकों द्वारा पुनः भूखण्ड 452.89 वर्ग मीटर आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन (2/2066 सरण) जोन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त भूखण्ड के नक्शे, आवेदन, आवेदन के साथ संलग्न भूखण्ड स्वामित्व के दस्तावेजों एवं नगर निगम जोन द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से सम्बन्धित कार्यालय टिप्पणी, भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रतियां एवं वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर निर्माण करा लिया गया है अथवा नहीं की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 452.89 वर्ग मीटर भूखण्ड में 34.74 वर्गमीटर का भूखण्ड का टुकड़ा भी शामिल करते हुए उस पर निर्माण स्वीकृति चाही गई थी ? यदि हां, तो उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड क्रय की रजिस्ट्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगर निगम ने उक्त आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व बिना विधिक परीक्षण किये ही 34.74 वर्ग मीटर भूखण्ड के 1/2 अविभाजित अर्थात् 17.37 वर्गमीटर भूमि के क्रय विलेख के आधार पर ही सम्पूर्ण भूखण्ड पर ही आवेदक को भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी? यदि हां, तो किस आधार पर और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त 452.89 वर्ग मीटर भूखण्ड में से 34.74 वर्गमीटर भूखण्ड पर दी गई अवैध भवन निर्माण स्वीकृति को निरस्त करते हुए आवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर के हवामहल जोन पूर्व में पत्रावली संख्या 2053 सरण दिनांक 06.11.1996 के द्वारा भवन एवं सरण दिनांक 14.09.2004 को निर्माण स्वीकृति के नवीकरण किये जाने संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों व नक्शों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवेदक द्वारा 29.06.2009 को पुनः 452.89 वर्गमीटर हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन/पत्रावली पेश की गई। पत्रावली की नकल परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड में निर्माण कार्य नही कराया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। 452.89 वर्गमीटर भूखण्ड में 34.74 वर्गमीटर भूखण्ड का टुकड़ा शामिल करते हुये उस पर निर्माण स्वीकृति चाही गई थी। इसके स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज, विक्रय पत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व विधिक राय नहीं ली गई। 34.74 वर्गमीटर भूखण्ड के 1/2 भाग व अविभाजित हिस्सा अर्थात 17.37 वर्गमीटर भूमि के विक्रय विलेख के आधार पर तत्कालीन भवन निर्माण एवं अनुज्ञा समिति द्वारा निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में स्वामित्व हेतु विक्रय पत्र दस्तावेज दिनांक 15.06.2009 जिसे आधार माना गया है।

(5) प्रकरण में उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से जांच करवाई जा रही है, जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रेन बसेरा जिला झालावाड़ का नव निर्माण

38. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झालावाड़ के रेन बसेरे का नव निर्माण करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितना निर्माण कार्य किया गया व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त रेन बसेरे का नव निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 05.06.2015 के द्वारा इस कार्य हेतु 2.68 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है तथा पुन: निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

(2) जी हां। रेन बसेरा पूर्व में लकड़ी का निर्मित होने के कारण हुबहु निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। चूंकि यह कार्य विशेष तकनीकी प्रकृति का होने के कारण माडल एवं आर्किटेक के अनुमोदन के पश्चात् तदानुसार करवाया जायेगा।

जयपुर शहर में निजी भवन निर्माताओं द्वारा तीस फीट सड़क पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण

39. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में निजी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा तीस फीट की सड़क पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धाबास, अजमेर रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीस फीट की सड़क पर जो आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये थे, उन पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के बिल्डर्स द्वारा बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे बिल्डर्स के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार तीस फीट तथा चालीस फीट चौड़ी सड़क पर कितने फीट की ऊंचाई तक फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि झील संरक्षण अधिनियम के तहत जलमहल झील जयपुर को संरक्षित झील घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या पूर्व में बनाई गई जलमहल योजना को निरस्त कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि जलमहल योजना के लिए अवाप्त की गई ग्राम बदनपुरा की भूमि स्वतः ही अवाप्ति से मुक्त हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनिमय 2010 के अनुसार नियम 2.34 के अन्तर्गत बहुमंजिला भवन से आशय ऐसे भवन से है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो, अभिप्रेत है। नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) 30 फीट चौड़ी सड़क पर फ्लेट्स का निर्माण भवन विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। 40 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई के फ्लेट्स का निर्माण अनुज्ञेय है, बशर्ते भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर हो। विनियम 8.11 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

विनियम 2.14 के अनुसार फ्लेट्स से तात्पर्य 12 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 750 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर एक से अधिक निवास इकाइयों/आवास समूहों के निर्माण से है। विनियम 2.14 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि झील संरक्षण अधिनियम 2015 (अधिनियम संख्या-5, 2015) की धारा 5 के अन्तर्गत मानसागर (जलमहल) झील को संरक्षित क्षेत्र दिनांक 01.07.2015 को अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है एवं धारा 4 के तहत मानसागर (जलमहल) झील का संरक्षित क्षेत्र, झील क्षेत्र एवं सीमा घोषित की गई है तथा पूर्व में बनाई गई जलमहल योजना को निरस्त नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। अवाप्त भूमि स्वतः अवाप्ति से मुक्त होने का प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया बांध की मरम्मत

40. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के सभी बांध ओवर फ्लो हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिवृष्टि के कारण चिरपटिया बांध भी ओवर फ्लो हुआ है, जिससे इस बांध में दरारें आ गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में स्थित 8 में से 6 विभागीय बांध एवं पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित 6 में से एक बांध ओवरफ्लो हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से चिरपटिया बांध भी ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो होने से बांध में कोई दरार नहीं आयी है। अत्यधिक पानी

(जल संसाधन मंत्री)

आने से बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित फिल्टर टो से सामान्य से अधिक सिपेज होने पर तत्काल मरम्मत करवाकर सामान्य कर दिया गया था।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ओवर फ्लो बांधों की सूची

जल संसाधन विभाग के अधीन बांध

क्र. सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	विधान सभा क्षेत्र	बांध का गेज	आज दिनांक 09.09.2015 का गेज	वि. वि.
1.	कन्टालिया	मा. जं.	मा. जं.	7.00 मी.	7.05 मी.	O/F
2.	सिरियारी	मा. जं.	मा. जं.	26.00 फुट	20.55 फुट	
3.	फुलाद	मा. जं.	मा. जं.	27.00 फुट	27.05 फुट	O/F
4.	जोगड़ावास I	मा. जं.	मा. जं.	7.50 फुट	6.40 फुट	O/F
5.	चिरपटिया	मा. जं.	मा. जं.	2.70 मी.	1.65 मी.	O/F
6.	सारण	मा. जं.	मा. जं.	11.50 फुट	7.30 फुट	
7.	जोगडावास II	मा. जं.	मा. जं.	6.50 फुट	5.40 फुट	O/F
8.	केसूली	देसूरी	मा. जं.	11.00 फुट	11.00 फुट	O/F

पंचायतराज विभाग के हस्तान्तरित बांध

क्र. सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	विधान सभा क्षेत्र	बांध का गेज	आज दिनांक 09.09.2015 का गेज	वि. वि.
1.	डिंगोर	मा. जं.	मा. जं.	23.50 फुट	22.00 फुट	
2.	रेणिया	मा. जं.	मा. जं.	13.00 फुट	13.10 फुट	O/F
3.	मगरतालाब	देसूरी	मा. जं.	12.00 फुट	11.00 फुट	
4.	कोलर	देसूरी	मा. जं.	14.00 फुट	13.00 फुट	
5.	गुढा गोपीनाथ	देसूरी	मा. जं.	11.00 फुट	8.00 फुट	
6.	बागोल	देसूरी	मा. जं.	11.00 फुट	9.50 फुट	

अधिशासी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड पाली

बाड़ी (धौलपुर) के रामसागर बांध की माइनर को बन्द करने की योजना

41. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी सीमावर्ती क्षेत्र में रामसागर बांध से निकलने वाली नहर से निकाली गई माइनर नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में आती है? जिसके आस-पास सिंचाई हेतु कोई भूमि नहीं है तथा इसके आस-पास भवनों का निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर को बंद कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाडी सीमावर्ती क्षेत्र में रामसागर बांध से निकलने वाली नहर से निकाली गई महाराजबाग गुमट माइनर एवं गुहेरा सबमाइनर नगरपालिका क्षेत्र बाडी में आती है। महाराजबाग माइनर टेल की 14 चैन लम्बाई एवं गुमट माइनर टेल की 18 चैन लम्बाई के आस-पास की भूमि पर भवनों का निर्माण/प्लोटिंग हो चुकी है। नगरपालिका क्षेत्र की उक्त माइनरों के टेल पर स्थित क्षेत्र का सर्वे करवाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित हे।

गोगुन्दा के सेई बांध की मरम्मत

42. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सेई बांध की दिनांक 24 व 25 जुलाई, 2015 को हुई अतिवृष्टि से टूटने की स्थिति बन गई थी? यदि हां, तो ऐसी स्थिति बनने के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त बांध में भराव क्षमता से अधिक पानी को दरवाजे खोलकर निकाला जाता है?

(3) क्या उक्त बांध के अतिवृष्टि से भराव क्षमता से अधिक पानी आने पर दरवाजे खोले गये थे? यदि हां, तो कितने फीट तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सेई बांध पर दिनांक 25.07.2015 से 28.07.2015 के दौरान अतिवृष्टि से आर.डी. 900 मीटर रेंपराउण्ड के पास डाऊन स्ट्रीम में मिट्टी की पाल पर एक असामान्य

(जल संसाधन मंत्री)

रेनकट एवं अन्य रेनकट पड़ गये थे, जिन्हें दुरूस्त करवा दिया गया था, परन्तु बांध के टूटने जैसी कोई स्थिति नहीं बनी थी।

(2) जी नहीं। सेई बांध का ओवरफ्लो गेटेड नहीं होने से पानी प्राकृतिक बहाव से निकलता है। सेई बांध से जवाई बांध में पानी अपर्वतन टनल के गेट खोलकर किया जाता है।

(3) सेई बांध का ओवरफ्लो अनगेटेड होने से उस पर से पानी की चादर 1.50 फीट चली थी। सेई बांध से जवाई बांध में पानी अपर्वतन हेतु टनल के गेट प्रारम्भिक कठिनाई के बाद निर्धारित जल प्रवाह (365 क्यूसेक्स) हेतु खोल दिये गये थे।

प्रदेश में बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

43. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र-छात्राओं को किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है?

(2) जनवरी, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक जिला जयपुर के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी राशि एवं अन्य प्रकार की सहायता स्वीकृत की गयी ? उसमें से कितनी राशि का भुगतान अब तक छात्र-छात्राओं को कर दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान अभी तक शेष है? यदि हां, तो क्यों और किन-किन छात्रों का? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्तमान में अवितरित छात्रवृत्ति किन-किन संस्थानों में किस-किस छात्र की कौन-कौनसी अवधि की कितनी-कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नियमों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनवरी 2014 से अब तक जिला जयपुर में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 203.58 करोड़ रुपये स्वीकृत कर 184.78 करोड़ रुपये का भुगतान विद्यार्थियों को किया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के नियमानुसार लम्बित आवेदन पत्रों का विभाग द्वारा 16 अप्रैल, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक विशेष अभियान चलाया जाकर निस्तारण किया गया है। वर्तमान में उक्त स्वीकृत आवेदन पत्र बजट के अभाव में लम्बित है। उक्त वर्षो के स्वीकृत आवेदन पत्र जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है का वर्षवार एवं श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति लम्बित है का शिक्षण संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु संचालित छात्रावास

44. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु कितने छात्रावास कहां-कहां पर कब से संचालित हैं और उक्त छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ और पुष्कर उप मुख्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु नवीन छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु निम्नाकित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित हैं :

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता
1	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अजमेर	एस सी	1993	35
2	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, अजमेर	एस सी	2007-08	75
3	अनुदानित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हटूण्डी अजमेर	एस सी	1965	75
4	अनुदानित अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हटूण्डी अजमेर	एस टी	1996	25
5	राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास अजमेर	एसबीसी	2012-13	50

उक्त छात्रावासों में आवासीय बालिकाओं को विभाग द्वारा नि:शुल्क आवास के साथ खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुयें तथा अन्य सुविधायें आदि नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाती हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ और पुष्कर मुख्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु नवीन छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। वर्तमान में नवीन राजकीय छात्रावास खुलवाये जाने हेतु कोई अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन राजकीय छात्रावास खुलवाये जाने सम्भव नहीं हैं।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक:-एफ 7(2)()रा.छा./सान्याअवि/141/59508		जयपुर, दिनांक 18.11.2014

संशोधित आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2014-15 की घोषणा

संख्या 172 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1750/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह को बढ़ाकर 1900/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह नियत कर मदवार राशि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7(2) ( )रा.छा./सान्याअवि/14/50279 दिनांक 12.09.2014 द्वारा नियत की गई है।

वर्णित आदेश में उल्लेखित मदवार विवरण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम मद	संशोधित राशि (प्रतिमाह)	प्रति सत्र 9 ½ माह हेतु नियत राशि
1	2	3	4
1	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1350	12825
2	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज) जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200	1900
3	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	75	712.50
4	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि की धुलाई	35	332.50
5	बिजली-पानी	150	1425
6	समाचार-पत्र, पत्रिकायें आदि	10	95
7	छात्रावास की साफ-सफाई	30	285
8	सामान्य मरम्मत बिजली, वाईरिंग व फिटींग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेटरी मरम्मत, पलंग मरम्मत आदि	50	475
	योग	**1900**	**18050**

क्र. सं. 8 पर अंकित सामान्य मरम्मत मद में प्रावधित राशि में से छात्रावास भवन की रंगाई पुताई, रंग रोगन, बिजली व सेनेटरी आदि की मरम्मत, अनावर्तक सामान पलंग, गद्दे, तकिये आदि की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक टूट-फूट की मरम्मत करायी जायेगी।

स्कूल यूनिफार्म, गर्म जर्सी, जूते-मौजे, तौलिये हेतु दी जाने वाली राशि 1900/- प्रति विद्यार्थी प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जायेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मेस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1900/- एवं प्रति सत्र 18050/- से अधिक नहीं होगी।

नोट :—विभागीय जिला अधिकारी किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों में भवन मालिक से दिनांक 15.11.2014 तक अनिवार्यत: रंगाई-पुताई, रंग-रोगन का कार्य करवायेंगे। यदि नियत तिथि तक रंगाई-पुताई, रंग-रोगन सम्बन्धी कार्य भवन मालिक द्वारा नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियत राशि में से कटौती कर वर्णित कार्य करवाये जायेंगे।

अम्बरीष कुमार
निदेशक

जोधपुर जिले में राजीव गांधी गैस वितरण केन्द्रों की स्थापना

45. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में राजीव गांधी गैस वितरण योजना के तहत गैस वितरण केन्द्र कहां-कहां स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गैस वितरण केन्द्र कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार जोधपुर जिले में राजीव गांधी गैस वितरण योजना के तहत वर्तमान में कुल 17 गैस एजेन्सियां संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नई गैस एजेन्सी की विज्ञप्ति जारी करने से सम्बन्धित मामला DB Appeal (Writ) No. 1474/2014 in SBCWP No. 347/2013 & DB Appeal (Writ) No. 1473/2014 in SBCWP No. 21390/2013, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित है तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई गैस एजेन्सी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। माननीय न्यायालय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

द्वारा मामले को तय करने के पश्चात एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से उचित निर्देश मिलने पर, भविष्य में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में नियमानुसार नई गैस एजेन्सी के लिए तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दो गैस वितरण केन्द्र हैं, जिनमें से एक राजीव गांधी ग्रामीण वितरक एवं दूसरा नियमित वितरक है:-

1. मैसर्स गिरिराज गैस सर्विस (नियमित वितरक एच.पी.सी.), शेरगढ़
2. मैसर्स नागानाराई ग्रामीण वितरक (आई.ओ.सी.), केतुकालान

परिशिष्ट-1

जिला जोधपुर में राजीव गांधी गैस वितरण योजना के तहत संचालित गैस एजेन्सियों की सूची

S. No.	Oil Company	Name of RGGLV	Name of Location
1	BPC	Shri Krishna Savara Bharar gas gramin Vitrak	Banad
2	BPC	Vijayshree Bharat gas Gramin Vitrak	Balesar
3	HPC	M/S BALAJI HP GAS GRAMIN VITRAK	LOHAWAT
4	HPC	M/S MAA JAGDAMBA HP GAS GRAMIN VITRAK	BALARWA
5	HPC	DEV H.P. GAS SERVICE	KHARIYA MITHAPUR
6	HPC	DHANOPESHWARI H.P. GAS SERVICE	AHU
7	HPC	SHREE RANSI HP GAS GRAMIN VITRAK SERVICE	RANSI
8	HPC	SHRI KRISHNA HP GAS GRAMIN VITRAK	KHAGTA
9	HPC	DECHU HP GAS GRAMIN VITRAK	DECHU
10	HPC	BHAWI HP GAS GRAMIN VITRAK AGENCY	BHAWI
11	HPC	SHREE HARIOM & BAGATESH HP GAS GRAMIN VI	PILWA

S. No.	Oil Company	Name of RGGLV	Name of Location
12	HPC	SHREE MAHADEV HP GAS GRAMIN VITRAK	JHAWAR
13	HPC	M/S C.L.P HP GAS GRAMIN VITRAK	MATHANIYA
14	HPC	M/S UDARAM KHOD HP GAS GRAMIN VITRAK	KERU
15	IOC	RAJ INDANE GRAMIN VITRAK	SHETRAWA
16	IOC	NAVDURGA INDANE GRAMIN VITRAK	DENOK
17	IOC	NAGANARAI GRAMIN VITRAK	KETU KALAN

के. सैलेन्द्रा
उपमहाप्रबंधक (एल पी जी), ओ ओ सी, राजस्थान

टोडाभीम में राशन सामग्री की कालाबाजारी पर कार्यवाही

46. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित उचित मूल्य की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुलने तथा राशन सामग्री की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों की उच्चस्तरीय जांच करवाकर कालाबाजारी की रोकथाम हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा राज्य में उचित मूल्य दुकानों पर कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि उचित मूल्य दुकानों की नियमित जांच/निरीक्षण किया जावे

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

तथा अनियमितता पाये जाने पर डीलर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उचित मूल्य की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुलने तथा राशन सामग्री की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी के माध्यम से जांच करवाई जाकर जांच में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गम्भीर प्रकृति की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर से जांच दल गठित कर जांच करवाई जाती है।

राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर POS (Point of sale) मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इस मशीन द्वारा लाभार्थी/उपभोक्ता का बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन सामग्री का वितरण कराये जाने की योजना है, जिससे पात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को राशन सामग्री का वितरण नहीं होगा तथा इससे पारदर्शिता के साथ कालाबाजारी पर भी रोक लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, करौली
विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	मुकदमा नम्बर	उनवान	की गई कार्यवाही
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	भझेडा	122/13	सरकार बनाम जीएसएस भझेडा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भझेडा	प्रकरण में ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भझेडा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
2	किरवाडा	134/14	सरकार बनाम पुरणमल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत किरवाडा	प्रकरण में पुरणमल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत किरवाड़ा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
3	भझेडा	147/14	सरकार बनाम रामकिशोर मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भझेडा	प्रकरण में रामकिशोर मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भझेडा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निरस्त किया गया एवं एफआई दर्ज करवाई गई।
4	महस्वा	151/14	सरकार बनाम प्रधान मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत महस्वा	प्रकरण में प्रधान मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत महस्वा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया दिया गया।

1	2	3	4	5
5	झाडीसा	168/14	सरकार बनाम जीएसएस झाडीया उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झाडीसा	प्रकरण में ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत झाडीसा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
6	न.पा. वार्ड नं. 20, 18 1/2	114/14	सरकार बनाम रायसिंह उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम	प्रकरण में रायसिंह उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम वार्ड नम्बर 20 को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
7	न.पा. वार्ड नं. 03	115/14	सरकार बनाम रामगोपाल आचार्य उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम	प्रकरण में रामगोपाल आचार्य उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम वार्ड नम्बर 03 को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
8	न.पा. वार्ड नं. 19	116/14	सरकार बनाम लक्ष्मी नारायण उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम	प्रकरण में लक्ष्मी नारायण उचित मूल्य दुकानदार नगरपालिका टोडाभीम वार्ड नम्बर 20 को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।
9	मांचडी	128/14	सरकार बनाम गिर्राज प्रसाद मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मांचडी	प्रकरण में गिर्राज प्रसाद मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मांचडी को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर निलम्बित किया गया।

1	2	3	4	5
10	बालघाट	174/15	सरकार बनाम महेशचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालघाट	प्रकरण में महेश चन्द्र उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालघाट को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर नोटिस दिया गया।
11	खोहर्रा	185/15	सरकार बनाम उदयसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खोहर्रा	प्रकरण में उदय सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खोहर्रा को जारी प्राधिकरण पत्र को अनियमितता मिलने पर नोटिस दिया गया।

जिला रसद अधिकारी
करौली

पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में अनियमितता की जांच

47. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों में पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का मुनाफा कम हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बैंक द्वारा कार्य व कार्यक्षेत्र का विस्तार तो किया, लेकिन कर्मचारी संख्या घटती गई? यदि हां, तो नये कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बैंक में एनपीए खाते हैं? यदि हां, तो क्यों? विगत 5 वर्षों की सूची व उक्त खातों को व्यवस्थित करवाने की दिशा में की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बैंक में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो कब व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक अंकेक्षित सन्तुलन चित्र के अनुसार गत दस वर्षों में वर्ष 2014-15 को छोड़कर अन्य वर्षों में लाभ में रहा है। यद्यिप 10 वर्षों में बैंक के लाभ में उतार-चढाव हुए है।

लाभ में कमी के निम्न कारण रहे है :-

1. उच्च ब्याज दर की जमाओं का निवेश अल्पकालीन फसली ऋण में करना।

2. ब्याज सहायता अनुदान का विलम्ब से प्राप्त होना।

3. ऋणों को विविधकरण न होना।

4. कोर बैंकिग सोल्यूसन (सीबीएस) प्रणाली अन्तर्गत लेखा पद्धति में परिवर्तन होना, इत्यादि।

(2) बैंक के कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है, किन्तु बैंक के कार्य में वृद्धि हुई है। बैंक में विगत वर्षों में विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की गई है।

(3) जी हां। नियत समयावधि में ऋणों की वसूली नहीं होने के कारण खाते एनपीए में वर्गीकृत हुए है। गत 5 वर्षों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

एन.पी.ए. खातों को व्यवस्थिति करने के लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानान्तर्गत नोटिस, आदेश व कुर्की वारन्ट जारी कर वसूली के प्रयास किये गये है कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायतों एवं कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले को जोड़ने हेतु मेगा डेजर्ट सर्किट परियोजना

48. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सहित अन्य जिलों को जोड़ते हुए मेगा डेजर्ट सर्किट परियोजना केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई है? यदि हां, तो कब? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु बजट स्वीकृत किया जा चुका है? यदि हां, तो इसे कहां-कहां व्यय किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मेगा डेजर्ट सर्किट परियोजना दिनांक 15.10.2014 को स्वीकृति हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवायी गयी है। उक्त परियोजना में सम्मिलित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी तक उक्त परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण की योजना

49. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की देखरेख के लिए क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त के अलावा निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किस प्रकार के? उक्त कार्य किस योजना में स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग में विभिन्न पद सृजित हैं? यदि हां, तो केडरवार सृजित पद एवं पदस्थापन तथा पे बैण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में विभाग में सृजित पदों पर नियुक्ति, नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से की जा रही है या सीधी भर्ती अथवा विभागीय पदोन्नति से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(5) क्या सरकार द्वारा पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित किए जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा प्रदेश स्थित ऐतिहासिक स्मारकों पर संरक्षण, जीर्णोद्धार, रसायनिक उपचार, सुरक्षा तथा पर्यटकों की सुविधार्थ विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। विभाग द्वारा प्रदेश स्थित संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाया जाता है।

विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

ऐतिहासिक संरक्षित स्मारकों एवं राजकीय संग्रहालयों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के साथ-साथ नवीन संग्रहालय निर्माण, पर्यटकों के लिए सुविधाऐं विकसित करने, पर्यटन विकास कार्य आदि सम्पादित करवाये जाते हैं।

वर्तमान में राजकीय संग्रहालय, माउण्ट आबू, अजमेर, भरतपुर चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर एवं चन्द्रावती (जिला-सिरोही) में विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में पर्यटन विभाग के माध्यम से राज्य आयोजना मद एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत कार्यों को भी सम्पादित करवाया जाता है।

(3) जी हां। पुरातत्व विभाग में केडरवार सृजित पदों, उनका पे-बैण्ड एवं पदस्थापन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। पुरातत्व विभाग में सृजित पदों पर नियुक्ति, नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से की जा रही है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. सीधी भर्ती - राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से।
2. पदोन्नति - विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा।
3. राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति की जाती है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(5) जी हां। राजस्थान राज्य में प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों तथा प्राचीन वस्तुओं के परिरक्षण, रक्षा, देखरेख, संधारण, अवाप्ति तथा विनियमन के लिये तथा उन पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 एवं इसकी धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु नियम 1968 बनाये गये हैं।

ऐसे स्मारक जो प्राचीन,ऐतिहासिक एवं कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें विभागीय अधीक्षकों से सर्वे करवाकर उनके द्वारा संरक्षित करवाये जाने वाले प्रस्तावित स्मारकों को जिला कलक्टर से उनकी सहमति/सम्पुष्टि पश्चात् राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है तथा ऐसे स्मारक जो खतरे की स्थिति में/गिरने के कगार पर हों उन्हें सम्बद्ध अधीक्षक के प्रस्ताव पर तत्काल उक्त अधिनियम की धारा 4 ए के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है।

सरकार द्वारा भविष्य में धरोहरों को संरक्षित करने हेतु आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर संरक्षण कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

साम्भर झील टाउन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की योजना

50. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांभर झील टाउन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रोजेक्ट/योजना स्वीकृत/संचालित है? यदि हां, तो कितनी राशि की और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कितनी राशि के क्या-क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितनी राशि के क्या-क्या कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना आयोग, भारत सरकार के द्वारा सांभर झील टाउन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने हेतु राशि रु. 37.65 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्ष 2013-14 में अनुमोदन किया गया है।

(2) उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्य प्रगति पर है। प्रगतिरत कार्यों एवं कराये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अभी तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की उपयोग से वंचित सम्पत्तियां

51. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की ऐसी कितनी सम्पत्तियां हैं, जिनका निर्माण होने के बाद आज तक कभी भी उपयोग नहीं किया गया है उनका निर्माण का वर्ष व उनकी तत्समय की लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आर.टी.डी.सी. की कुल कितनी इकाइयां व सम्पत्तियां हैं, जो वर्तमान में चालू स्थिति में हैं, उनमें से कितनी हानि में हैं और कितनी सम्पत्तियां न हानि न लाभ की स्थिति पर चल रही हैं और कितनी सम्पत्तियां लाभ में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऐसी 7 इकाइयां हैं, जिनका निर्माण होने के बाद आज तक कभी भी उपयोग नहीं किया गया। उनका निर्माण का वर्ष व उनकी तत्समय की लागत का विवरण अनुलग्नक अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की वर्तमान में 43 इकाइयां चालू स्थिति में हैं। उनमें से वर्ष 2014-15 में 31 इकाइयां हानि में एवं 12 इकाइयां लाभ में चल रही हैं (सूची अनुलग्नक-ब एवं स पर संलग्न हैं)। वर्तमान में कोई भी इकाई न हानि न लाभ की स्थिति में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-52

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-53

(स्थगित)

प्रदेश में शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की कार्य योजना

54. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के तबादले की कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार नई तबादला नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शिक्षकों की जिलेवार भर्ती कर अन्य दूसरे जिले में स्थानान्तरण नहीं कर उसी जिले विशेष में ही पद स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में कोई तबादला नीति प्रभावी नहीं है। नई तबादला नीति बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती जिलेवार की जाकर उसी जिले में पदस्थापित किया जाता है । द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती/वरिष्ठता मंडल स्तर पर तथा व्याख्याताओं की भर्ती/वरिष्ठता राज्य स्तर पर की जाती है । नियमानुसार जिले में पद उपलब्धानुसार पदस्थापित किया जाता है, पद रिक्त नहीं होने पर अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जाता है ।

सुथारी खेड़ा (पारलिया) ग्राम के विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण

55. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सुथारी खेड़ा (पारलिया), ग्राम पंचायत-लेसवा, तहसील-भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में राजकीय विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालय में कितने विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं? मय शिक्षकों के नाम, पदस्थापन तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(2) वर्तमान में उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के लिये पेयजल की क्या व्यवस्थायें हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की भूमि की चार दीवारी बनाने की स्वीकृति पूर्व में जारी हो चुकी है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालय के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण कार्य कब-कब शुरू किया गया? क्या निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम-सुथारी खेड़ा (पारलिया), ग्राम पंचायत लेसवा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तहत एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जिसमें 53 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का विद्यालय में पदस्थापन तिथि सहित विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पदस्थापन दिनांक
1	श्री मोहनलाल डगवार	01.09.2009
2	श्री मुकेश स्वर्णकार	01.05.2015

उक्त ग्राम पंचायत में माध्यमिक शिक्षा का कोई विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) ग्राम सुथारी खेड़ा (पारलिया) ग्राम पंचायत लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त विद्यालय में चारदिवारी निर्माण हेतु दिनांक 28.08.2012 को राशि रु. 2.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(4) उक्त विद्यालय की चारदिवारी निर्माण कार्य दिनांक 07.01.2013 को प्रारम्भ किया गया था।

सत्र 2012-13 में स्वीकृत 100 मीटर चारदिवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। जिसमें विद्यालय में दो तरफ की चारदिवारी बनाई गई है। शेष दो तरफ की चारदिवारी जिसकी लम्बाई 120 मीटर है, का निर्माण शेष है। शेष रही चारदिवारी का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत बजट के अभाव में नहीं हो सका है।

(5) भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वितीय वर्ष 2012-13 से चारदिवारी निर्माण हेतु कुल बजट अनुमोदित नहीं किया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चारदीवारी निर्माण कार्य अनुमोदन किये जाने अथवा किसी भामाशाह द्वारा सहयोग किये जाने पर ही उक्त विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रणथम्भौर में बाघों का लिंगानुपात

56. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाघों की जनसंख्या में लिंगानुपात का अन्तर बढ़ रहा है? यदि हां, तो सामान्यत: नर/मादा में कितना अन्तर होना चाहिये? राजस्थान के रणथम्भौर में कितने बाघ व कितनी बाघिनें हैं और पिछले 10 वर्षों में यह अन्तर घटा है या बढ़ा है? देश में अन्य वन उप खण्डों में बाघों में ऐसा लिंगानुपात बढ़ रहा है या घट रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। रणथम्भौर में वर्ष 2015 की गणना के अनुसार 21 बाघ व 21 बाघिन हैं।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में गत 10 वर्षों में बाघों का लिंगानुपात औसतन घटा-बढ़ा नहीं है।

अन्य राज्यों के उपखण्डों/बाघ परियोजना क्षेत्रों में बाघों के लिंगानुपात बढ़ने या घटने सम्बन्धी आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं है।

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ के एस.आर. रजिस्टर में अनियमितता की जांच

57. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हबीबपुर पंचायत समिति गंगापुरसिटी के एस.आर. क्रमांक 1067 पर वर्ष 2002 से 2005 तक कक्षा 2 से 5 तक अध्ययन करने वाली उसी छात्रा को नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, पंचायत समिति बामनवास ने भी अपने बिना पृष्ठ संख्या अंकित छात्र प्रवेश रजिस्टर में क्रमांक 17 पर वर्ष 2002 से लेकर 2005 तक कक्षा 3 से लेकर 6 तक अपने विद्यालय में अध्ययन करना बता रखा है? यदि हां, तो दोनों विद्यालयों में से कौन से विद्यालय ने नियम विरुद्ध उक्त छात्रा को फर्जी प्रवेश देकर यह कृत्य किया है? दोनों विद्यालयों के उक्त एस.आर. नम्बर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुमेल पंचायत समिति बामनवास के एस.आर. क्रमांक 475 पर वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक कक्षा 4 से 6 तक अध्ययन करने वाले उसी छात्र को नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, पंचायत समिति बामनवास ने भी अपने छात्र प्रवेश रजिस्टर में क्रमांक 217 पर वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक अपने विद्यालय में कक्षा 2 से लेकर 5 तक अध्ययन करना बता रखा है? यदि हां, तो दोनों विद्यालयों में से कौन से विद्यालय ने नियम विरुद्ध उक्त छात्र को फर्जी प्रवेश देकर यह कृत्य किया है? दोनों विद्यालयों के उक्त एस.आर. नम्बर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैंसला की ढाणी, श्योसिंहपुरा, पंचायत समिति बामनवास के एस.आर. क्रमांक 22 पर वर्ष 2001 से 2005 तक कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाले उसी छात्र को नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, पंचायत समिति बामनवास ने भी अपने एस.आर. क्रमांक 137 पर 5 जुलाई, 2001 से 15 मई, 2004 तक अपने विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक अध्ययन करना बता रखा है ? यदि हां, तो दोनों विद्यालयों में से कौन से विद्यालय ने नियम विरुद्ध उक्त छात्र को फर्जी प्रवेश देकर यह कृत्य किया है? दोनों विद्यालयों के उक्त एस.आर. नम्बर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(4) क्या यह सही है कि डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी, जिला कोटा में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाली छात्रा को नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, पंचायत समिति बामनवास द्वारा एस.आर. क्रमांक 280 पर वर्ष 2009 से 2011 तक कक्षा 6 से 8 तक अपने विद्यालय में पढ़ना बता रखा है? यदि हां, तो दोनों विद्यालयों में से कौन से विद्यालय ने नियम विरुद्ध उक्त छात्र को फर्जी प्रवेश देकर यह कृत्य किया? दोनों विद्यालयों के उक्त एस.आर. नम्बर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार नियम एवं कानून के विरुद्ध छात्र-छात्राओं को फर्जी प्रवेश देने वाले ऐसे विद्यालय के संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियम एवं कानून के अन्तर्गत कौनसी कार्यवाही कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धोड़ी बाई गुर्जर पुत्री पुखराज गुर्जर का नाम राउप्रावि, हबीबपुर के एस.आर. क्रमांक 1067 पर (कक्षा-2 से 05 तक) तथा नये एस.आर. क्रम संख्या-1220 पर (कक्षा-6 से कक्षा-7) अंकित है। इस प्रकार छात्रा धोड़ी बाई गुर्जर ने दिनांक 14.11.2002 को प्रवेश लेकर 29.04.2008 तक (कक्षा-2 से कक्षा-7) राउप्रावि, हबीबपुर में अध्ययन किया है तथा कक्षा-8 में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण छात्रा का नाम पृथक किया गया। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

नूतन आदर्श उप्रावि, सूरगढ़ पं.स. बामनवास के एस.आर. रजिस्टर के क्रमांक 17 पर धोलीबाई गुर्जर पुत्री पुखराज गुर्जर का नाम अंकित है। छात्रा ने 01.07.2000 को कक्षा 01 में प्रवेश लेकर 15.04.2006 तक कक्षा-6 उत्तीर्ण करना विद्यालय रिकार्ड में अंकित है। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा उक्त अवधि के उपस्थिति पंजिका, परीक्षा परिणाम रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर स्पष्ट है कि नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़ द्वारा छात्रा को फर्जी प्रवेश दिया गया है।

(2) जी हां। नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा उक्त अवधि के उपस्थिति पंजिका, परीक्षा परिणाम रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये

(शिक्षा राज्य मंत्री)

जाने पर स्पष्ट है कि नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़ द्वारा छात्र को फर्जी प्रवेश दिया गया है। रामावि सुमेल पं.स. बामनवास के एस.आर. क्रमांक 475 पर अध्ययनरत छात्र के एस.आर. रजिस्टर एवं नूतन आदर्श उप्रावि, सूरगढ़ तह-बामनवास के एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशाला, (जो बाद में राप्रावि में परिवर्तित) बेसला की ढाणी के एस.आर. क्रमांक 22 पर रामवतार गुर्जर पुत्र श्री भरतसिंह गुर्जर का नाम अंकित है। छात्र ने दिनांक 19.07.2001 को कक्षा-01 में प्रवेश लेकर 05.05.2006 तक अध्ययन करते हुए कक्षा-05 उत्तीर्ण की है। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है। इसी छात्र का नाम नूतन आदर्श उप्रावि, सूरगढ़ तहसील बामनवास के एस.आर. रजिस्टर के क्रम संख्या-137 पर अंकित है। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'ड' पर संलग्न है। नूतन आदर्श उप्रावि, सूरगढ़, पं.स. बामनवास द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण विद्यालय की मान्यता समाप्ति के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा उक्त अवधि के उपस्थिति पंजिका, परीक्षा परिणाम रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर स्पष्ट है कि नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़ द्वारा छात्र को फर्जी प्रवेश दिया गया है।

(4) जी हां। डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा के एस.आर. क्रमांक 401 पर कु. कल्पना गुर्जर पुत्री रामराज गुर्जर का नाम अंकित है। छात्रा ने दिनांक 10.07.2007 को कक्षा-06 में प्रवेश लेकर सत्र 2011-12 में कक्षा-10 में अध्ययनरत रहते हुए अनुतीर्ण हुई है। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'च' पर संलग्न है। इसी छात्रा का नाम नूतन आदर्श उप्रावि, सूरगढ़, तहसील बामनवास के एस.आर. रजिस्टर के क्रम संख्या 280 पर अंकित है। एस.आर. रजिस्टर की प्रति परिशिष्ट-'छ' पर संलग्न है।

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा उक्त अवधि के उपस्थिति पंजिका, परीक्षा परिणाम रजिस्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर स्पष्ट है कि नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़ द्वारा छात्रा को फर्जी प्रवेश दिया गया है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(5) जी हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 तथा संशोधित नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने पर नियम-8 (ख) में सम्बन्धित संस्था की मान्यता समाप्त करने का प्रावधान है।

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, पंचायत समिति, बामनवास जिला सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा में पूछे गये पूर्व प्रश्न के सन्दर्भ में उक्त विद्यालय की जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) सवाई माधोपुर द्वारा जांच करने पर संस्था द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा विद्यालय में अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 तथा संशोधित नियम-2011 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशालय के पत्र दिनांक 12.09.2015 के अनुसार संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सोजत व रायपुर (पाली) में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

58. श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के सोजत एवं रायपुर में वर्तमान में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कानुजा में अवैध खनन हेतु क्रेशर लगे हुए हैं? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां? क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के सोजत एवं रायपुर में अवैध खनन की यदाकदा शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार

(खान मंत्री)

कार्यवाही कर अवैध खनन बन्द कराया गया है। खनि अभियन्ता, सोजत एवं खनि अभियन्ता, ब्यावर द्वारा उक्त क्षेत्रों में विगत 2 वर्षो में अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत कानुजा में 2 क्रेशर लगे हुए हैं जिनके द्वारा खनिज, खनन पट्टा/अल्पावधि अनुमति पत्र से प्राप्त किया जाता है। क्रेशरों के विरुद्ध अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(3) जी नहीं। खनि अभियन्ता, ब्यावर को अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने पर क्रेशरों द्वारा आबंटित खनन पट्टा एवं अल्पावधि अनुमति पत्र क्षेत्रों में से ही खनिज निकाला जाना पाया गया है।

परिशिष्ट-1

इस खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत गत 2 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में दर्ज अवैध खनन के प्रकरणों का विवरण

(तहसील सोजत में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रकरण	राशि	दर्ज एफआईआर सं.
1	2013-14	1	9600	0
2	2014-15	1	392000	0
3	2015-16	3	531050	0
	योग	**5**	**932650**	0

(तहसील रायपुर में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रकरण	राशि	दर्ज एफआईआर सं.
1	2013-14	4	392600	1
2	2014-15	17	897460	2
3	2015-16	3	107525	1
		25	10014985	4

परिशिष्ट-2

ग्राम पंचायत कानुजा क्षेत्र में लगे हुए क्रेशरों का विवरण

क्र. सं.	**नाम**	**क्रेशर हेतु पत्थर का स्रोत**
1	नानक स्टोन क्रेशर	आबंटित ख. प. सं. 78/05
2	जी. आर. इंफ्रा प्रोजेक्ट	एस.टी.पी. संख्या 17/2014 दिनांक 22.10.14 से 100000 ओवरबर्डन एवं एस.टी.पी. सं. 8/2015-16 दिनांक 27.5.2015 से 100000 ओवरबर्डन ख.प. सं. 3/95 के खनन पट्टा क्षेत्र से नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया नई दिल्ली के कार्यादेश दिनांक 8.4.2013 के क्रम में लाम्बिया रायपुर सेक्शन में 2 लेनिंग रोड कार्य हेतु जारी की गई।

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की श्याम विहार आवासीय योजना के नियमन की कार्यवाही

59. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर रजिस्ट्रेशन नं. 2928/L द्वारा श्याम विहार आवासीय योजना के नाम से लाल्या का बास, महापुरा-खटवाड़ा रोड पर पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो इस भूमि का खसरा नं. खातेदार एवं समिति के मध्य हुए इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्याम विहार योजना में आबंटित भूखण्डधारियों की सूची एवं आवासीय योजना के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त योजना में कौन-कौन भूखण्डधारी जरिये आबंटन पत्र/निष्पादित रजिस्ट्री द्वारा स्वामित्वधारी है? सूची सदन की मेज पर रखें

(4) क्या सरकार उक्त योजना का नियमन करने हेतु शिविर लगाने एवं पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि के क्रय-विक्रय हेतु निष्पादित इकरारनामों की प्रतियां परिशिष्ट "01" पर संलग्न हैं।

(2) महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की श्याम विहार योजना में आबटित भूखण्डधारियों की सूची तथा आवासीय योजना के नक्शे की प्रति क्रमश: परिशिष्ट "02" व परिशिष्ट "03" पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के सभी भूखण्डधारियों को आबंटन पत्र जारी कर भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। सोसायटी द्वारा उक्त योजना में किसी भी सदस्य को रजिस्ट्री द्वारा भूखण्ड नहीं दिया गया है। सूची परिशिष्ट "02" पर संलग्न है।

(4) महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा योजना श्याम विहार का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

खैरवाड़ी ग्राम आमेर तहसील (जयपुर) की भूमि के स्वामित्व की जांच

60. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खैरवाड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते हुए भी वन विभाग द्वारा इस पर स्वामित्व दर्शाया गया है? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा स्वामित्व के सम्बन्ध में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि कब से इंद्राज है तथा वन विभाग के द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का स्वामित्व कब लिया गया है? मय दस्तावेज के पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी अंतिम विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961 में वर्णित अनुसार जयपुर वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने के प्रस्ताव दिनांक 15.10.1947 को अंतिम रूप

(वन राज्य मंत्री)

दिया जाकर वन खण्ड आमेर-54 को आरक्षित वन घोषित किया गया। जिसमें ग्राम खैरवाड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर के हाल खसरा नं. 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 (साबिक खसरा नं. 177 जु. व 178 जु.) वन खण्ड में सम्मिलित किये गये थे। वन विभाग के स्वामित्व को दर्शाने हेतु वनखण्ड आमेर-54 की अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961, वनखण्ड के अन्तर्गत ग्राम खैरवाड़ी का खसरा बन्दोबस्त की प्रतिलिपि अनेक्सर-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरों की भूमि संवत् 2008 से विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है परन्तु वनखण्ड के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षित वन घोषित किये जाने की तिथि से ही उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा वन विभाग के पास है। मौके पर वन सीमा स्तम्भ भी लगे हुए हैं। वनखण्ड आमेर-54 की अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961, वनखण्ड के अन्तर्गत ग्राम खैरवाड़ी का खसरा बन्दोबस्त अनेक्सर-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)